कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 783/XXV–12 /2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 2 सितम्बर, 2015

सेवा में,

श्री रमेश चन्द्र शर्मा,
प्रबन्धक ट्रस्टी,
धर्मशाला मांई गिन्दा कुंवर बरेली ट्रस्ट,
सुभाष घाट, हरिद्वार।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 20 अगस्त, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम सें आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही हैः–

2. बिन्दु संख्या–01 से बिन्दु संख्या 03 तक में वांछित सूचना के क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय स्तर से जो भी कार्यवाही की गयी है उनकी प्रतियां संलग्न प्रेषित की जा रही है।

3. बिन्दु संख्या–04 एवं 05 में चाही गयी सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय, हरिद्वार से संबंधित है जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
04–सुभाष रोड़,सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 783/XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– .1. लोक सूचना अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, हरिद्वार को बिन्दु संख्या 04 एंव बिन्दु संख्या 05 पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
देहरादून, उत्तराखण्ड

अपील संख्या : **16816/2014**

समक्ष : एन. एस. नपलच्याल, मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

अपीलकर्ता : **श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबंधक ट्रस्टी, धर्मशाला माई गिंदा कुंवर बरेली, ट्रस्ट, सुभाषघाट, हरिद्वार जिला– हरिद्वार।**

बनाम

1. लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
2. प्रथम अपीलीय अधिकारी/अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर देहरादून।

आदेश

यह अपील श्री रमेश चन्द्र शर्मा के द्वारा लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी/अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर देहरादून के विरूद्ध दायर की गयी है, जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया है कि उनके अनुरोध पत्र दिनांक 30.9.2014 के बिन्दु संख्या 4 एवं 5 पर लोक सूचना अधिकारी के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गयी है।

2. अपील पर सुनवाई हेतु आयोग द्वारा दिनांक 02.02.2015 को उभय पक्षों को नोटिस जारी किया गया। आज अपील पर सुनवाई के समय अपीलकर्ता उपस्थित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी श्री मस्तू दास, अनुभाग अधिकारी उपस्थित हैं, उनके द्वारा अपना लिखित अभिकथन प्रस्तुत किया गया है, जिसे पत्रावली का भाग बनाया गया है।

3. अपीलकर्ता के द्वारा अपने अनुरोध पत्र के माध्यम से 5 बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी है। लोक सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलकर्ता को अपने पत्र दिनांक 9 दिसंबर 2014 के द्वारा बिन्दु संख्या 1 एवं 5 पर सूचना प्रेषित की गयी है तथा बिन्दु संख्या 2, 3 एवं 4 पर सूचना प्रेषित करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी को अंतरित किया गया है । बिन्दु संख्या 1 में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक', के विरूद्ध

शिकायत संबंधित रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी का संज्ञान लेकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 'क' के तहत प्राथमिकी/आपराधिक मामला दर्ज करवाने का उत्तरदायित्व (Prime responsibility) संबंधित रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी अथवा भारत निर्वाचन आयोग में से किसका है, इस विषयक अपेक्षित सूचना तत्संबन्धित सद्यतन दिशा–निर्देशों की प्रति सहित उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया है। इस पर लोक सूचना अधिकारी के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों संबंधित पत्र संख्या 4/2014/SDR-Vol,-1 दिनांक 26 अप्रैल 2014 की प्रति एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 क के उद्धरणों की प्रति संलग्न प्रेषित की है। भारत निर्वाचन आयोग के उक्त पत्र दिनांक 26 अप्रैल 2014 के प्रस्तर 4 की ओर लोक सूचना अधिकारी के द्वारा आयोग का ध्यान आकर्षित कराया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि शिकायतकर्ता खुद ही संबंधित न्यायालय में शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकार बिन्दु संख्या 1 पर अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध करा दी गयी है।

4. बिन्दु संख्या 5 पर नामांकन प्रपत्रों के साथ मिथ्या अदेय प्रमाण पत्र व मिथ्या शपथ पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रत्याशी के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 क के अंतर्गत आपराधित मामला पंजीकृत करवाने हेतु निर्वाचक नियमावली के अनुसार नियत समयावधि/समय सीमा के विषयक सूचना मांगी गयी है। इस पर लोक सूचना अधिकारी के द्वारा समयावधि संबंधित अपूर्ण सूचना दी गयी है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलकर्ता को बिन्दु संख्या 5 पर पूर्ण सूचना 3 दिन के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5. अपीलकर्ता सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए , उनके द्वारा बिन्दु संख्या 4 पर जो शिकायत उनके द्वारा पृथक से प्रार्थना पत्र दिनांक 8 मई 2014 के माध्यम से 9 मई 2014 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत की गयी है पर की गयी कार्यवाही की सूचना चाही गयी है। लोक सूचना अधिकारी के द्वारा शिकायती पत्र पर 03 मई 2014 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाना बताया गया है । जबकि अपीलकर्ता के द्वारा 9 मई को उक्त शिकायती पत्र प्रस्तुत किया जाना बताया गया हैं लोक सूचना अधिकारी बिन्दु संख्या 4 पर उनके द्वारा जो कार्यवाही की गयी है उसकी सूचना अपीलकर्ता को एक सप्ताह के अंदर पंजीकृत डाक द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6. लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून को दिये गये उपरोक्त निर्देशों के साथ पर इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्षों को निर्गत हो।

आज खुले में घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित ।

13.02.2015

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाड़पुर, रिंग रोड, देहरादून

05/02/15
को. पत्र

अपील संख्या: A(D)–16816/2014
अपील अन्तर्गत धारा 19 (3) सू. का. अधि. अधिनियम 2005

अपीलकर्ता श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबंधक ट्रस्टी, धर्मशाला माई गिंदा कूंवर बरेली ट्रस्ट, सुभाषघाट, हरिद्वार जिला हरिद्वार

बनाम

प्रतिवादी 1. लोक सूचना अधिकारी /अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर देहरादून।

2. विभागीय अपीलीय अधिकारी/अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड,सचिवालय परिसर, देहरादून।

नोटिस

अपीलकर्ता श्री रमेश चन्द्र शर्मा, द्वारा आयोग को राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) 2005 के द्वारा निस्तारणार्थ अपील प्रार्थना पत्र 26.12.2014 को प्रस्तुत किया गया है. आयोग द्वारा प्रार्थना पत्र को अपील के रूप में सुनवाई हेतु विचार करने के उद्देश्य से **13.02.2015 (शुकवार)** को आयोग कार्यालय, **सूचना का अधिकार भवन, लाड़पुर, रिंग रोड, देहरादून** में वाद सूची के क्रम के अनुसार **11.00 बजे** से दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाता है.

2. अपीलार्थी द्वारा राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम 2005 के द्वारा नियम–3 और नियम–4 के द्वारा प्राविधानित प्रस्तुत सामग्री को नियम छः के अनुसार प्रतिवादी को पंजीकृत डॉक से / विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है.

3. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा प्रार्थना पत्र की प्रति तथा संलग्न अभिलेखों को प्रतिवादियों को इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि वे **13.02.2015** को सुनवाई के समय व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहें. प्रतिवादियों से यह भी अपेक्षित है कि वे इस अपील–मेमोरेण्डम के सापेक्ष अपने पक्ष में निम्नलिखित मूल अभिलेखों के साथ **स्वयं अथवा प्रतिनिधि** उपस्थित हों.

लोक सूचना अधिकारी

अ. अपीलकर्ता/प्रार्थी के मूल प्रार्थना पत्र पर बिंदुवार लिखित उत्तर **एवं ईमेल पता**
ब. पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित मूल आवेदन पत्र व्यवहृत किया गया हो, तथा
स. लोक सूचना अधिकारी के लिए निर्धारित पंजिका
द. लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराये गये सूचना की प्रतियां
ध. विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश की प्रति

विभागीय अपीलीय अधिकारी

अ. अपील पर बिंदुवार लिखित उत्तर, **एवं ईमेल पता**
ब. पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित विभागीय अपील व्यवहृत की गयी हो, तथा
स. निर्धारित विभागीय अपील पंजिका

ह0/–
(एन0एस0नपलच्याल)

मुख्य सूचना आयुक्त

संख्या : 1204/उ.सू.आ./अपील/2014–15/(CIC) दिनांक 02.02.2015

प्रतिलिपि

1. श्री रमेश चन्द्र शर्मा,, प्रबंधक ट्रस्टी, धर्मशाला माई गिंदा कूंवर बरेली ट्रस्ट, सुभाषघाट, हरिद्वार जिला हरिद्वार।
2. लोक सूचना अधिकारी /अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर देहरादून को अपीलार्थी से प्राप्त अपील की फोटोप्रति सहित।
3. विभागीय अपीलीय अधिकारी/अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड,सचिवालय परिसर, देहरादून को अपीलार्थी से प्राप्त अपील की फोटोप्रति सहित।
4. विभागीय पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह क्वीरियाल)
सचिव

संलग्नक 4

कार्यालय अपीलीय अधिकारी संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय देहरादून

अपील संख्या– 07/2014

अपीलकर्ता:– श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबन्धक ट्रस्टी, धर्मशाला मांई गिन्दा कुंवर बरेली ट्रस्ट, सुभाष घाट, हरिद्वार।

बनाम

उत्तरदाता:– लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, सचिवालय परिसर देहरादून।

आदेश

श्री रमेश चन्द्र शर्मा उपरोक्त द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने संबंधी उनके आवेदन पत्र दिनांक 30.09.2014, जो लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से वांछित सूचनायें लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा आवेदक को उपलब्ध नहीं कराई गयी।

2- आवेदक द्वारा वांछित सूचनायें आवेदक को उपलब्ध न होने पर आवेदक श्री रमेश चन्द्र शर्मा द्वारा प्रथम अपील दिनांक 31/10/2014 को प्रस्तुत की गई। उक्त अपील पर सुनवाई हेतु अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं हुये हैं। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलकर्ता को तत्काल वांछित सूचनाएं उपलब्ध करायी जाय, यदि उक्त सूचना से सन्तुष्ट न हो तो अपीलकर्ता किसी भी कार्यालय दिवस एवं समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेखों का अवलोकन कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील का निस्तारण किया जाता है।

(सौजन्या)
विभागीय अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी /
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

संख्या- 1811 XXV-12/2008 (P2), दिनांक 06 ~~सितम्बर~~ दिसम्बर, 2014।

प्रतिलिपि :- 1. श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबन्धक ट्रस्टी, धर्मशाला मांई गिन्दा कुंवर बरेली ट्रस्ट, सुभाष घाट, हरिद्वार।
2. लोक सूचना अधिकारी, को तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सौजन्या)
विभागीय अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी/
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

सत्यापित
रमेशचन्द्र शर्मा

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 117 /XXV–12 /2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 16 फरवरी, 2014

सेवा में,

श्री रमेश चन्द्र शर्मा,
प्रबन्धक ट्रस्टी,
धर्मशाला मांई गिन्दा कुंवर बरेली ट्रस्ट,
सुभाष घाट, हरिद्वार।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपील संख्या A(D).16816 /2014 पर दिनांक 13 फरवरी, 2015 को सुनवाई के दौरान मा0 आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में, आपके सूचना अधिकारी सम्बन्धी आवेदन पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के बिन्दु संख्या–05 के द्वारा वांछित सूचना के क्रम में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 की प्रति संलग्न प्रेषित है।

2. बिन्दु संख्या–04 के क्रम में आपसे हुई वार्ता के क्रम में यह भी अनुरोध है कि उक्त संबंध में अपने शिकायती पत्र दिनांक 09 मई, 2014 की प्रति शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि तद्नुसार यथासमय अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
04–सुभाष रोड़,सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 117 /XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– .1. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, लाडपुर, देहरादून को अपील संख्या A(D).16816 /2014 की सुनवाई दिनांक 13 फरवरी, 2015 में निर्गत निर्देशों के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

2. जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1054 दिनांक 03 मई, 2014 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस आषय से प्रेषित कि उक्त पर की गई कार्यवाही से तत्काल शिकायतकर्ता एवं मु0नि0अ0 कार्या0 को अवगत कराने का कष्ट करें तथा संलग्न सूचना अधिकार सम्बन्धी प्रार्थना पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के बिन्दु संख्या–04 में वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराने हेतु लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

(च) ''निर्वाचन अभ्यर्थी'' से ऐसा अभ्यर्थी अभिप्रेत है जिसका नाम सम्यक् निर्वाचित के रूप में धारा 67 के अधीन प्रकाशित कर दिया गया है ।

अध्याय 2--निर्वाचन अर्जियों का [1][उच्च न्यायालय] को उपस्थित किया जाना

80. निर्वाचन अर्जियां--कोई भी निर्वाचन इस भाग के उपबंधों के अनुसार उपस्थित की गई निर्वाचन अर्जी द्वारा प्रश्नगत किए जाने के सिवाय प्रश्नगत न किया जाएगा ।

[2][**80क. उच्च न्यायालय द्वारा निर्वाचन अर्जियों का विचारण**--(1) उच्च न्यायालय ही निर्वाचन अर्जी का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाला न्यायालय होगा ।]

(2) ऐसी अधिकारिता मामूली तौर पर उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त की जाएगी और मुख्य न्यायमूर्ति उस प्रयोजन के लिए समय-समय पर एक या अधिक न्यायाधीश समनुदिष्ट करेगा :

परंतु जहां कि उच्च न्यायालय केवल एक न्यायाधीश द्वारा गठित है, वहां वह उस न्यायालय को उपस्थापित सब निर्वाचन अर्जियों का विचारण करेगा ।

(3) उच्च न्यायालय न्याय या सुविधा के हितों में किसी निर्वाचन अर्जी का पूर्णतः या भागतः विचारण ऐसे स्थान में जो उच्च न्यायालय की बैठक के स्थान से भिन्न है स्वविवेकानुसार कर सकेगा ।]

81. अर्जियों का उपस्थित किया जाना--(1) किसी निर्वाचन को प्रश्नगत करने वाली निर्वाचन अर्जी धारा 100 की [3][उपधारा (1)] और धारा 101 में विनिर्दिष्ट आधारों में से एक या अधिक पर [4][उच्च न्यायालय] को ऐसे निर्वाचन में के किसी अभ्यर्थी द्वारा या किसी निर्वाचक द्वारा निर्वाचित अभ्यर्थी के [5][निर्वाचन की तारीख से या यदि निर्वाचन में एक से अधिक निर्वाचित अभ्यर्थी हैं और निर्वाचन की तारीख भिन्न है तो उन तारीखों में से पश्चात्‌वर्ती तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर किंतु उस तारीख से पहले नहीं] उपस्थित की जा सकेगी ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा में ''निर्वाचक'' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो उस निर्वाचन से, जिससे निर्वाचन अर्जी सम्बद्ध है मत देने के लिए हकदार था भले ही उसने ऐसे निर्वाचन में मतदान किया हो या न किया हो ।

[6]* * * *

[7][(3) हर निर्वाचन अर्जी के साथ उसकी उतनी प्रतियां होंगी जितने प्रत्यर्थी उस अर्जी में वर्णित है [8]*** और अर्जीदार हर ऐसी प्रति को अपने हस्ताक्षर से अनुप्रमाणित करेगा कि वह अर्जी की सही प्रति है ।]

[9][**82. अर्जी के पक्षकार**--अर्जीदार अपनी अर्जी में प्रत्यर्थी के रूप में---

(क) उस दशा में, जिसमें कि अर्जीदार इस घोषणा के लिए कि सब निर्वाचित अभ्यर्थियों या उनमें से किसी का निर्वाचन शून्य है, दावा करने के अतिरिक्त इस अतिरिक्त घोषणा के लिए भी कि वह स्वयं या कोई अन्य अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है दावा करता है, अर्जीदार से भिन्न निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को और उस दशा में, जिसमें कि ऐसी अतिरिक्त घोषणा के लिए दावा नहीं किया गया है सब निर्वाचन अभ्यर्थियों को ; तथा

(ख) किसी अन्य अभ्यर्थी को जिसके विरुद्ध किसी भ्रष्ट आचरण के अभिकथन अर्जी में किए गए हैं, संयोजित करेगा ।]

[10][**83. अर्जी की अन्तर्वस्तु**---(1) निर्वाचन अर्जी---

(क) में उन तात्विक तथ्यों का संक्षिप्त कथन अन्तर्विष्ट होगा जिन पर अर्जीदार निर्भर करता है,

---

1 19[illegible] अधिनियम सं0 47 की धारा 39 द्वारा (14-12-1966 से) '' निर्वाचन आयोग'' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 38 द्वारा (14-12-1966 से) अंतःस्थापित ।
3 1956 के अधिनियम सं0 27 की धारा 44 द्वारा ''उपधाराओं (1) और (2)'' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 39 द्वारा (14-12-1966 से) ''निर्वाचन आयोग'' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5 1956 के अधिनियम सं0 27 की धारा 44 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 39 द्वारा (14-12-1966 से) उपधारा (2) का लोप किया गया ।
7 1961 के अधिनियम सं0 40 की धारा 17 द्वारा (20-9-1961 से) अन्तःस्थापित ।
8 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 39 द्वारा (14-12-1966 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया ।
9 1956 के अधिनियम सं0 27 की धारा 45 द्वारा धारा 82 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
10 1956 के अधिनियम सं0 27 की धारा 46 द्वारा धारा 83 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

CHAPTER II.—*Presentation of Election Petitions to* [1][*High Court*]

80. Election petitions.—No election shall be called in question except by an election petitic accordance with the provisions of this Part.

[2][**80A. High Court to try election petitions.**—(*1*) The Court having jurisdiction to try an election p the High Court.

(*2*) Such jurisdiction shall be exercised ordinarily by a single Judge of the High Court and the Chi from time to time, assign one or more Judges for that purpose:

Provided that where the High Court consists only of one Judge, he shall try all election petitions p Court.

(*3*) The High Court in its discretion may, in the interests of justice or convenience, try an election pet partly, at a place other than the place of seat of the High Court.]

81. Presentation of petitions.—(*1*) An election petition calling in question any election may be pres more of the grounds specified in [3][sub-section (*1*)] of section 100 and section 101 to the [4][High Court] by a such election or any elector [5][within forty-five days from, but not earlier than the date of election c candidate, or if there are more than one returned candidate at the election and the dates of their election are di of those two dates].

Explanation.—In this sub-section, "elector" means a person who was entitled to vote at the electic election petition relates, whether he has voted at such election or not.

[6]* * * *

[7][(*3*) Every election petition shall be accompanied by as many copies thereof as there are respondents n petition [8]***, and every such copy shall be attested by the petitioner under his own signature to be a t petition.]

[9][**82. Parties to the petition.**—A petitioner shall join as respondents to his petition—

(*a*) where the petitioner, in addition to claiming a declaration that the election of all or any candidates is void, claims a further declaration that he himself or any other candidate has been duly contesting candidates other than the petitioner, and where no such further declaration is claimed, a candidates; and

(*b*) any other candidate against whom allegations of any corrupt practice are made in the petit

[10][**83. Contents of petition.**—(*1*) An election petition—

(*a*) shall contain a concise statement of the material facts on which the petitioner relies;

(*b*) shall set forth full particulars of any corrupt practice that the petitioner alleges, including as as possible of the names of the parties alleged to have committed such corrupt practice and the date commission of each such practice; and

---

1. Subs. by Act 47 of 1966, s. 39, for "Election Commission" (w.e.f. 14-12-1966).
2. Ins. by s. 38, *ibid.* (w.e.f. 14-12-1966).
3. Subs. by Act 27 of 1956, s. 44, for "sub-sections (*1*) and (*2*)".
4. Subs. by Act 47 of 1966, s. 39, for "Election Commission" (w.e.f. 14-12-1966).
5. Subs. by Act 27 of 1956, s. 44, for certain words.
6. Sub-section (*2*) omitted by Act 47 of 1966, s. 39 (w.e.f. 14-12-1966).
7. Ins. by Act 40 of 1961, s. 17 (w.e.f. 20-9-1961).
8. Certain words omitted by Act 47 of 1966, s. 39 (w.e.f. 14-12-1966).
9. Subs. by Act 27 of 1956, s. 45, for s. 82.
10. Subs. by s. 46, *ibid.*, for s. 83.

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या– 115 /XXV–66(1–5)/2009 देहरादून : दिनांक 12 फरवरी, 2015

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अर्न्तगत मा0 सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-16816/ 2014 के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1204 दिनांक 02 फरवरी, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें अपील संख्या A(D)-16816/ 2014 श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबंधक ट्रस्टी, धर्मशाला माई गिंदा कुवंर बरेली ट्रस्ट, सुभाष घाट, हरिद्वार द्वारा मा0 सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-16816/ 2014 पर दिनांक 13.02.2015 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी है के क्रम में मा0 आयोग को अवगत कराना है कि अपीलकर्ता के प्रथम अपील संबंधी पत्र दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 के क्रम में कार्यालय के पत्र संख्या 1767 दिनांक 24 नवम्बर, 2014 के माध्यम से उनको अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था। उक्त तिथि पर अपीलकर्ता कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये। तद्नुसार कार्यालय के आदेश संख्या–07/2014, श्री रमेश चन्द्र शर्मा बनाम लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड के माध्यम से अपीलकर्ता की अपील का निस्तारण किया गया। उक्त क्रम में अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को उनके मूल आवेदन पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के बिन्दु संख्या 01 से 05 तक के माध्यम से अपेक्षित सूचनाये उपलब्ध कराते हुये, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों से संबंधित पत्र संख्या 4/2014/SDR-Vol-1 दिनांक 25 अप्रैल, 2014 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 क के उद्धरणों की प्रति प्रेषित की गयी एवं बिन्दु संख्या 02 से 04 के क्रम में उनके शिकायती पत्रों को लोक सूचना अधिकारी के पत्र संख्या 1054 दिनांक 03 मई, 2014 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। (उक्त संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी के पत्र संख्या 1815 दिनांक 09 दिसम्बर, 2014, विभागीय अपीलीय अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 07/2014 दिनांक 06 दिसम्बर, 2014, एवं अपील पर सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से संबंधित पत्र संख्या 1767 दिनांक 24 नवम्बर, 2014 की प्रतिलिपि मा0 सूचना आयोग की सेवा में संलग्न कर सादर प्रेषित है।)

2. विभागीय अपीलीय अधिकारी की ओर से प्रकरण पर विभागीय आख्या सहित श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को मा0 आयोग के समक्ष विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित भेजा जा रहा है।

उक्तानुसार विभागीय पक्ष मा0 सूचना आयोग के संज्ञान में लाते हुए अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को निस्तारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सौजन्या)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृ0संख्या– / XXV–66(1–5)/2009, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर मा0 सूचना आयोग में उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(सौजन्या)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1767/XXV–12/2008 देहरादून : दिनांक 24 नवम्बर, 2014

सेवा में,

श्री रमेश चन्द्र शर्मा,
प्रबन्धक ट्रस्टी,
धर्मशाला मांई गिन्दा कुंवर बरेली ट्रस्ट,
सुभाष घाट, हरिद्वार।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अर्न्तगत प्रस्तुत अपील पर सुनवाई के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उक्त अपील पर सुनवाई हेतु दिनांक 06 दिसम्बर, 2014 की तिथि निर्धारित की गयी है।

अतः निर्धारित तिथि को समय 11.00 बजे पूर्वान्ह उक्त अपील पर सुनवाई हेतु सचिवालय परिसर स्थिति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें। यदि आप सहमत हों तो उक्त नियत तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

भवदीया,

(सौजन्या)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

कार्यालय अपीलीय अधिकारी संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय देहरादून

अपील संख्या– 07/2014

अपीलकर्ता:– श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबन्धक ट्रस्टी, धर्मशाला मांई गिन्दा कुंवर बरेली ट्रस्ट, सुभाष घाट, हरिद्वार।

बनाम

उत्तरदाता:– लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, सचिवालय परिसर देहरादून।

आदेश

श्री रमेश चन्द्र शर्मा उपरोक्त द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने संबंधी उनके आवेदन पत्र दिनांक 30.09.2014, जो लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से वांछित सूचनायें लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा आवेदक को उपलब्ध नहीं कराई गयी।

2- आवेदक द्वारा वांछित सूचनायें आवेदक को उपलब्ध न होने पर आवेदक श्री रमेश चन्द्र शर्मा द्वारा प्रथम अपील दिनांक 31/10/2014 को प्रस्तुत की गई। उक्त अपील पर सुनवाई हेतु अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं हुये है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलकर्ता को तत्काल वांछित सूचनाएं उपलब्ध करायी जाय, यदि उक्त सूचना से सन्तुष्ट न हो तो अपीलकर्ता किसी भी कार्यालय दिवस एवं समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेखों का अवलोकन कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील का निस्तारण किया जाता है।

(सौजन्या)
विभागीय अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी /
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

संख्या- 1811 XXV-12/2008 (P2), दिनांक 06 ~~सितम्बर~~ दिसम्बर, 2014।

प्रतिलिपि :- 1.श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबन्धक ट्रस्टी, धर्मशाला मांई गिन्दा कुंवर बरेली ट्रस्ट, सुभाष घाट, हरिद्वार।

2. लोक सूचना अधिकारी, को तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सौजन्या)
विभागीय अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी/
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1815 /XXV–12 /2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 09 दिसम्बर, 2014

सेवा में,

श्री रमेश चन्द्र शर्मा,
प्रबन्धक ट्रस्टी,
धर्मशाला मांई गिन्दा कुंवर बरेली ट्रस्ट,
सुभाश घाट, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित बिन्दुवार सूचनायें निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही हैं:–

1. बिन्दु संख्या 01 एवं 05 में मांगी गयी सूचना के बारे में अवगत कराना है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों संबंधित पत्र संख्या 4/2014/SDR-Vol.-I दिनाक 26 अप्रैल, 2014 की प्रति एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 क के उद्धरणों की प्रति संलग्न प्रेषित है।
2. बिन्दु संख्या 02, 03 एवं 04 के क्रम में आपके शिकायती पत्रों को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1054 दिनांक 03 मई, 2014 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को आव यक कार्यवाही हेतु प्रेशित की गयी है जिनकी प्रतिलिपि संलग्न है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
04–सुभाश रोड़,सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कश्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 1815 /XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित पत्र के क्रम में की गयी कार्यवाही से अपीलकर्ता एवं इस कार्यालय को अवगत कराने का कश्ट करें।

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

[1][(8) अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति द्वारा बूथ का बलात् ग्रहण ।]

स्पष्टीकरण--(1) निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता और ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी बाबत यह ठहराया जाए कि उसने अभ्यर्थी की सम्मति से निर्वाचन के संबंध में अभिकर्ता के रूप में कार्य किया है इस धारा में के "अभिकर्ता" पद के अन्तर्गत आते हैं ।

(2) यदि किसी व्यक्ति ने अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता [2]*** के रूप में कार्य किया है, तो खण्ड (7) के प्रयोजनों के लिए उस व्यक्ति की बाबत यह समझा जाएगा कि उसने उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने में सहायता दी है ।]

[3][(3) खण्ड (7) के प्रयोजनों के लिए, किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति को (जिसके अन्तर्गत किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के सम्बन्ध में सेवा करने वाला व्यक्ति भी है) या किसी राज्य सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति की नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने का शासकीय राजपत्र में प्रकाशन—

(i) यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने का निश्चायक सबूत होगा, और

(ii) यहां, यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने के प्रभावशील होने की तारीख ऐसे प्रकाशन में कथित है वहां इस तथ्य का भी निश्चायक सबूत होगा कि ऐसा व्यक्ति उक्त तारीख से नियुक्त किया गया था या पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने की दशा में ऐसा व्यक्ति उक्त तारीख से ऐसी सेवा में नहीं रहा था ।]

[4][(4) खंड (8) के प्रयोजनों के लिए "बूथ का बलात् ग्रहण" का वही अर्थ है जो धारा 135क में है ।

अध्याय 3 — निर्वाचन अपराध

[5][**125. निर्वाचन के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता सम्प्रवर्तित करना**--जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन होने वाले निर्वाचन के संबंध में शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधारों पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।]

[6][**125क. मिथ्या शपथपत्र आदि फाइल करने के लिए शास्ति**—कोई अभ्यर्थी, जो स्वयं या अपने प्रस्थापक के माध्यम से, किसी निर्वाचन में निर्वाचित होने के आशय से, यथास्थिति, धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन परिदत्त अपने नामनिर्देशन पत्र में या धारा 33क की उपधारा (2) के अधीन परिदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित अपने शपथ पत्र में,—

(i) धारा 33क की उपधारा (1) से संबंधित सूचना देने में असफल रहेगा ; या

(ii) ऐसी मिथ्या सूचना देगा जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है ; या

(iii) कोई सूचना छिपाएगा,

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।]

[7][**126. मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त हाने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषध**--(1) कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान,—

(क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा ; या

(ख) चलचित्र, टेलीविजन या वैसे की अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा ; या

[illegible] के अधिनियम सं0 1 की धारा 13 द्वारा (15-3-1989 से) अंतःस्थापित ।
[illegible] के अधिनियम सं0 47 की धारा 53 द्वारा (14-12-1966 से) "या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता" शब्दों का लोप किया गया ।
[illegible] के अधिनियम सं0 40 की धारा 8 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) जोड़ा गया ।
[illegible] के अधिनियम सं0 1 की धारा 13 द्वारा (15-3-1989 से) अंतःस्थापित ।
[illegible] के अधिनियम सं0 40 की धारा 24 द्वारा (20-9-1961 से) अंतःस्थापित ।
[illegible] का अधिनियम सं0 72 की धारा 5 द्वारा (24-8-2002 से) अंतःस्थापित ।
[illegible] के अधिनियम सं0 21 की धारा 10 द्वारा (1-8-1996 से) धारा 126 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

(2) For the purposes of clause (7), a person shall be deemed to assist in the furtherance of the
candidate's election if he acts as an election agent [1]* * * of that candidate.]

[2][(3) For the purposes of clause (7), notwithstanding anything contained in any
publication in the Official Gazette of the appointment, resignation, termination of service, dismiss
from service of a person in the service of the Central Government (including a person
connection with the administration of a Union territory) or of a State Government shall be conclusive

(i) of such appointment, resignation, termination of service, dismissal or removal from se
case may be, and

(ii) where the date of taking effect of such appointment, resignation, termination of service,
removal from service, as the case may be, is stated in such publication, also of the fact tha
was appointed with effect from the said date, or in the case of resignation, termination
dismissal or removal from service, such person ceased to be in such service with effect from the

[3][(4) For the purposes of clause (8), "booth capturing" shall have the same meaning as in section

CHAPTER III.—*Electoral offences*

[4][**125. Promoting enmity between classes in connection with election.**—Any person who in connectio
election under this Act promotes or attempts to promote on grounds of religion, race, caste, community or langua
of enmity or hatred, between different classes of the citizens of India shall be punishable, with imprisonment for a
may extend to three years, or with fine, or with both.]

[5][**125A. Penalty for filing false affidavit, etc.**—A candidate who himself or through his proposer, with
elected in an election,—

(i) fails to furnish information relating to sub-section (1) of section 33A; or

(ii) give false information which he knows or has reason to believe to be false; or

(iii) conceals any information,

in his nomination paper delivered under sub-section (1) of section 33 or in his affidavit which is required to be delive
sub-section (2) of section 33A, as the case may be, shall, notwithstanding anything contained in any other law fo
being in force, be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both

[6][**126. Prohibition of public meetings during period of forty-eight hours ending with hour fixed for c
of poll.**—(1) No person shall—

(a) convene, hold or attend, join or address any public meeting or procession in connection with an electi

(b) display to the public any election matter by means of cinematograph, television or other similar apparat

(c) propagate any election matter to the public by holding, or by arranging the holding of, any musica
or any theatrical performance or any other entertainment or amusement with a view to attracting the membe
public thereto,

in any polling area during the period of forty-eight hours ending with the fixed for the conclusion of the poll for any
in the polling area.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with imprisonment for a t
which may extend to two years, or with fine, or with both.

(3) In this section, the expression "election matter" means any matter intended or calculated to influence or af
result of an election.].

1. The words "or a polling agent or a counting agent" omitted by Act 47 of 1966, s. 53 (w.e.f. 14-12-1966).
2. Added by Act 40 of 1975, s. 8 (retrospectively).
3. Ins. by Act 1 of 1989, s.13 (w.e.f. 15-3-1989).
4. Ins. by Act 40 of 1961, s. 24 (w.e.f. 20-9-1961).
5. Ins. by Act 72 of 2002, s.5 (w.e.f. 24-8-2002).
6. Subs. by Act 21 of 1996, s. 10, for s. 126 (w.e.f. 1-8-1969).

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashok Road, New Delhi-110 001

No. 4/2014/SDR-Vol.I Dated: 26th April, 2014

To

The Chief Electoral Officer of
All Sates and UTs

Sub: Filing of false affidavit in Form-26 reg.

Sir/Madam,

You are aware that the format of affidavit in Form-26 appended to the Conduct of Elections Rules, 1961, was amended with effect from 1/8/2012. Now the candidates are required to make declarations about assets and liabilities including that of spouse and dependents, candidate's criminal antecedents and educational qualifications, in the affidavit in Form 26.The affidavit in Form 26 is provided under section 33A and any false declaration or concealing of information in the affidavit in Form 26 will attract the provisions of section 125A. Under the said Section 125A, furnishing of any false information or concealing of information in the affidavit in Form 26 is an electoral offence punishable with imprisonment upto six months, or with fine, or both.

2. Prior to the amendment to Form 26 in August 2012, the affidavit regarding declaration about assets, liabilities, criminal antecedents and educational qualification was given in the format prescribed by the Commission. In the case of complaints about false statement in the said affidavit, the Commission, vide its circular letter No.3/ER/2004, dated 2/6/2004, had clarified that if complaints were filed before the Returning Officer raising the issue of false declaration in the affidavit and if the RO was prima facie satisfied about the merits of the complaint, then the RO was to file a complaint before the competent Court under Section 177 of IPC read with Section 195 of Cr. P.C.

3. Now that the affidavit is in Form 26 under secion 33A of the R.P. Act, 1951, making false declaration/concealing of information in the affidavit would be covered under Section 125A of the Act. Under Section 125A, there is no stipulation that complaints under that section have to be made by the public servant concerned (in this case the R.O.). Therefore, it would be open to any aggrieved person to move petition before the appropriate Court of competent

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या० मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

jurisdiction with petition for action under Section 125A in the case of any false declaration or concealing of information in the affidavit in Form 26.

4. Therefore, it will be no longer necessary under the Cr.PC for the Returning Officer to move the competent court in relation to any complaint about a false affidavit. The complainant himself can be the complainant before the court as well.

5. The above instructions may be brought to the notice of all DEOs and ROs for elections to both the Houses of Parliament and State Legislature for their guidance so that in the event of complaints about false statements in the affidavit in Form 26, the complainant can be informed that it would be open for him to move the appropriate court of law for action under Section 125 A of the RP Act 1951.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(K.F. Wilfred)
Principal Secretary

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724, 2712014

संख्या /1854/XXV-3/2014 देहरादून : दिनांक 5 मई, 2014

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार / देहरादून / पौड़ी गढ़वाल / रूद्रप्रयाग /
ऊधमसिंहनगर / नैनीताल / चमोली / चम्पावत / अल्मोड़ा / पिथौरागढ़।

विषयः– **लोक सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2014–अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन एवं अन्य शिकायतों का प्रेषण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक लोक सभा के लिए आगामी सामान्य निर्वाचन, 2014 के क्रम में कतिपय अधिकारियों / कर्मचारियों के अत्यधिक अवधि से अथवा गृह जनपद में तैनात होने एवं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन आदि का उल्लेख किया गया है की प्रतिलिपि संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया संबंधित प्रकरण की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें:–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	शिकायतकर्ता का नाम व पता	शिकायत की तिथि	शिकायत का विवरण
1	हरिद्वार	श्री हरीश तिवाड़ी, नेता सभासद दल, नगर पालिका परिषद् ऋषिकेश	23.04.2014	आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में।
		राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री संदीप कुमार एवं अन्य प्रार्थीगण निवासी धनौरी क्षेत्र थाना बाहादराबाद, हरिद्वार	15.04.2014	आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में।
		श्री रमेश चन्द्र शर्मा, समाजसेवक, निवासी धर्मशाला माई गिंदा कुवंर सुभाष घाट, हरिद्वार	अदिनांकित	हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले भाजपा प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक का नियम कानून खिलाफ प्रस्तुत नामांकन को जांच प्रकिया उपरान्त निरस्त करने के संबंध में।
		श्री रमेश चन्द्र शर्मा, समाजसेवक, निवासी धर्मशाला माई गिंदा कुवंर सुभाष घाट, हरिद्वार	अदिनांकित	स्रकारी आवास का मासिक किराया जमा कराये बिना अवैध रूप से प्राप्त अनापत्ति पत्र की उच्चस्तरीय जांच उपरान्त संसदीय चुनाव के प्रत्याशी का नामांकन निरस्त करने की कार्यवाही के आदेशार्थ हेतु अपील।

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

		भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री महावीर सिंह, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड	15.04.2014	नामांकन के संबंध में।
		भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री धीरेन्द्र प्रताप, प्रवक्ता उत्तराखण्ड कांग्रेस,		योग गुरू बाबा रामदेव के विरूद्ध शिकायत के संबंध मे।
		भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री वाजिद पुत्र श्री नासिर, सिविल लाईन रूड़की, हरिद्वार		श्री अमरीश कुमार शर्मा लेखपाल तहसील रूड़की जिला हरिद्वार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संबंध में।
		भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री गोपाल नारसन गीतांज़ली विहार रूड़की, जिला हरिद्वार	04.04.2014	आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में शिकायत।
		भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री राजेश रस्तौगी, एडवोकेट, चैमबर नं0 58 सिविल कोर्ट हरिद्वार	03.04.2014	श्री नरेन्द्र मोदी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराये जाने के संबंध में।
		श्री बाबू पुत्र मीरू नि0 पिरान कलियर, रूड़की, हरिद्वार		आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में शिकायत।
		श्री निसार पुत्र श्री इकबाल, सिटी पब्लिक स्कूल, रूड़की, हरिद्वार		आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में शिकायत।
		श्रीमती सुभद्रा आर्य, महासचिव, निवासी गुघाल रोड़ पाण्डेवाला, ज्वालापुर, हरिद्वार	02.04.2014	आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में शिकायत।
		श्री सुश्रुत पुरी पुत्र श्री न्यादर पुरी, निवासी ग्राम व पो0 दौलतपुर वायां योगपीठ हरिद्वार	22.04.2014	05 लोक सभा हरिद्वार का नामांकन दाखिल करने के संबंध में।
		राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न समाजसेवी जनपद हरिद्वार का प्रार्थना पत्र	19.04.2014	रानीपुर थाने के अन्तर्गत अवैध शराब के अड्डो को निर्वाचन के दृष्टिगत बन्द किये जाने के संबंध में।
		राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री मनन वर्मा अधिवक्ता मा0 उच्चतम न्यायालय, दिल्ली	21.04.2014	हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती रेणुका रावत, कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में।
2	पौड़ी गढ़वाल	श्री इन्द्रेश मैखुरी, प्रत्याशी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ग्राम व पो0 मैखुरा, जिला चमोली	टदिनांकित	प्रचार वाहन को रोके जाने के संबंध में शिकायत।

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

		श्री नरेन्द्र सिंह नेगी, प्रत्याशी, मा0क0पा0 02–गढ़वाल संसदीय क्षेत्र	23.04.2014	नगरपालिका परिषद् कोटद्वार को तथाकथित अधिकारियों द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने के संबंध में।
		भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न एक भारतीय नागरिक		आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में।
3	देहरादून	राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री महेश कुमार उभान, एडवोकेट, जनपद देहरादून	10-04-2014	ई0वी0एम0 मशीन में सम्मिलित नोटा बटन का मतदाताओं के उपयोग किये जाने हेतु विभिन्न समाचार पत्रों में प्रचार–प्रसार के संबंध में।
		राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न डा0 स्तयनारायण सचान, प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, कार्या0– परेड ग्राउण्ड देहरादून	19-04-2014	सरकारी व्यय पर सुरक्षा हेतु गनर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।
		श्री शान्ति प्रसाद भट्ट केन्द्रीय महामंत्री, कैम्प कार्यालय 22 मित्रलोक, बल्लूपुर रोड़, देहरादून	08-04-2014	श्री पूर्णानन्द नौटियाल मुख्य सहायक सिंचाई कार्यमण्डल, देहरादून द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध मे।
		श्री राज्यपाल सचिवालय के पत्र के साथ संलग्न श्री विकास गर्ग, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय पत्रकार यूनियन 85 तिलक रोड़, देहरादून।	अदिनांकित	जिला सूचना अधिकारी 10 वर्षों से जनपद देहरादून में कार्यरत के संबंध में।
		श्री कीर्ति सिंह पुत्र स्व0 श्री भगत सिंह नि0 सुमन विहार गली नं0 1 बापूग्राम, तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून	17.04.2014	फर्जी दस्तावेज तैयार करवाने के संबंध में शिकायत।
		भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न प्रभारी अधिकारी, जिलाधिकारी, देहरादून।	05.04.2014	ज्ञापन के संबंध मे।
		भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री शान्ति प्रसाद भट्ट, 22 मित्रलोक कालोनी बल्लूपुर रोड़, देहरादून	05.04.2014	आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में शिकायत।
		भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री विकास गर्ग 85 तिलक रोड़, देहरादून	26.03.2014	सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड द्वारा अवमानना एवं अवहेलना के संबंध में।
		श्री विजय सारस्वत, प्रदेश महामंत्री प्रशासनिक, 21 राजपुर रोड़ देहरादून	25.04.2014	चुनाव ड्यूटी के संबंध में शिकायत।

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
का0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

		श्री भानूप्रताप सिंह पुत्र श्री अजय बहादुर सिंह निकट रेलवे कासिंग, डोईवाला, देहरादून	20.03.2014	वोटर लिस्ट में नाम न होने संबंधी शिकायत।
		श्री प्रेम कुमार शर्मा, 75 विजय कालोनी, न्यू कैन्ट रोड़, देहरादून	28.04.2014	फाटो पहचान पत्र न मिलने संबंधी शिकायत।
4	रूद्रप्रयाग	राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री विक्रम सिंह पंवार, एवं अन्य प्रार्थीगण निवासी ग्राम त्यूखर, पो0 चिलबटिया तहसील जखोली, जिला रूद्रप्रयाग	10-04-2014	तहसील जखोली में कार्यरत उपजिलाधिकारी जखोली श्री लक्ष्मीराज चौहान व पुलिस उपनिरीक्षक अजय कुमार, चौकी माई की गढ़ी रूद्रप्रयाग, द्वारा राजनीति में सम्मिलित होना तथा निष्पक्ष चुनाव में बाधक होने के संबंध में।
5	ऊधमसिंह नगर	राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न निर्वाचन कार्यों में तैनात गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के अधिकारी / कर्मचारीगण	16-04-2014	निर्वाचन कार्य में तैनात कर्मियों को होने वाली निवारण हेतु अनुरोध।
		भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्रीमती बीना राणा, पत्नी डा0 योगेश सिंह राणा, निवासी ग्राम चौमेला, सितारगंज, उधमसिंहनगर	28-03-2014	आचार संहिता के उल्लंघन के संबध में।
		राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री इकवाल अली, निवासी ग्राम टॉडा, डालचन्द, बाजपुर, उधमसिंहनगर		श्री भूपेन्द्र सिंह पटवारी, तहसील बाजपुर / गदरपुर की तहसीलों में 25 वर्षों से कार्यरत होने के फलस्वरूप उनका स्थानान्तरण किये जाने के संबंध मे।
		राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री सुखदेव सिंह एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम गुरूनानक नगरी सितारगंज उधमसिंहनगर	10-04-2014	लोकसभा नैनीताल उधमसिंहनगर के निर्वाचन हेतु पोलिंगबूथ के संबंध में।
6	नैनीताल	श्री प्रभात ध्यानी, प्रधान महासचिव उत्तराखण्ड परिवर्तन पार्टी, रानीखेत रोड़, निकट कुमायू बस स्टेशन रामनगर नैनीताल		आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में शिकायत।
		भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री मजहर नईम, निवासी जवाहर नगर, टनकपुर रोड़, हल्द्वानी		आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में शिकायत।

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

7	चमोली	भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री निखिल रावत	03-04-2014	सेंट्रल स्कूल गोपेश्वर मे फैली हुई अराजकता के सन्दर्भ में प्रार्थना पत्र।
8	चम्पावत	भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री केदार सिंह सामन्त पुत्र श्री मोहन सिंह निवासी कार्की फा, पो0 टनकपुर चम्पावत	05-04-2014	हेल्प लाईन नम्बर के संबंध में शिकायत।
9	अल्मोड़ा	राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री हरीश चन्द्र सिंह बिष्ट एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम खलना पो0 खलना जिला अल्मोड़ा।	19-04-2014	ग्राम पंचायत खलना की सड़क की मांग पूरी न होने के कारण लोक सभा निर्वाचन का बहिष्कार के संबंध में।
10	पिथौरागढ़	राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री सुबोध सिंह, सभासद नगर पालिका परिषद् पिथौरागढ़	21-04-2014	अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पिथौरागढ़ को संयुक्त मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी से अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

पृ0 संख्या – 1054 / XXV–3 / 2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि उल्लिखित तालिका की क्रम संख्या–1से 10 तक में वर्णित शिकायतकर्ताओं को उनके वर्णित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या– 115 /XXV–66(1–5)/2009 देहरादून : दिनांक 12 फरवरी, 2015

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अर्न्तगत मा0 सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-16816/2014 के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1204 दिनांक 02 फरवरी, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें अपील संख्या A(D)-16816/2014 श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबंधक ट्रस्टी, धर्मशाला माई गिंदा कुवंर बरेली ट्रस्ट, सुभाष घाट, हरिद्वार द्वारा मा0 सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-16816/2014 पर दिनांक 13.02.2015 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी है के क्रम में मा0 आयोग को अवगत कराना है कि अपीलकर्ता के प्रथम अपील संबंधी पत्र दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 के क्रम में कार्यालय के पत्र संख्या 1767 दिनांक 24 नवम्बर, 2014 के माध्यम से उनको अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था। उक्त तिथि पर अपीलकर्ता कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये। तद्नुसार कार्यालय के आदेश संख्या–07/2014, श्री रमेश चन्द्र शर्मा बनाम लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड के माध्यम से अपीलकर्ता की अपील का निस्तारण किया गया। उक्त क्रम में अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को उनके मूल आवेदन पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के बिन्दु संख्या 01 से 05 तक के माध्यम से अपेक्षित सूचनाये उपलब्ध कराते हुये, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों से संबंधित पत्र संख्या 4/2014/SDR-Vol-1 दिनांक 25 अप्रैल, 2014 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 क के उद्धरणों की प्रति प्रेषित की गयी एवं बिन्दु संख्या 02 से 04 के क्रम में उनके शिकायती पत्रों को लोक सूचना अधिकारी के पत्र संख्या 1054 दिनांक 03 मई, 2014 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। (उक्त संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी के पत्र संख्या 1815 दिनांक 09 दिसम्बर, 2014, विभागीय अपीलीय अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 07/2014 दिनांक 06 दिसम्बर, 2014, एवं अपील पर सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से संबंधित पत्र संख्या 1767 दिनांक 24 नवम्बर, 2014 की प्रतिलिपि मा0 सूचना आयोग की सेवा में संलग्न कर सादर प्रेषित है।)

2. विभागीय अपीलीय अधिकारी की ओर से प्रकरण पर विभागीय आख्या सहित श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को मा0 आयोग के समक्ष विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित भेजा जा रहा है।

उक्तानुसार विभागीय पक्ष मा0 सूचना आयोग के संज्ञान में लाते हुए अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को निस्तारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सौजन्या)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृ0संख्या– 115 / XXV–66(1–5)/2009, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर मा0 सूचना आयोग में उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(सौजन्या)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या– 116 /XXV–66(1–5)/2009 देहरादून : दिनांक 12 फरवरी, 2015

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अर्न्तगत मा0 सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-16816/2014 के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1204 दिनांक 02 फरवरी, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें अपील संख्या A(D)-16816/ 2014 श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबंधक ट्रस्टी, धर्मशाला माई गिंदा कुवंर बरेली ट्रस्ट, सुभाष घाट, हरिद्वार द्वारा मा0 सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-16816/ 2014 पर दिनांक 13.02.2015 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी है, के क्रम में मा0 आयोग को अवगत कराना है कि अपीलकर्ता को कार्यालय के आदेश संख्या–07/2014, श्री रमेश चन्द्र शर्मा बनाम लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड के माध्यम से अपीलकर्ता की अपील का निस्तारण किया गया, जिसमें विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि अपीलकर्ता को उनके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। उक्त क्रम में अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को उनके मूल आवेदन पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के बिन्दु संख्या 01 से 05 तक के माध्यम से अपेक्षित सूचनाये उपलब्ध कराते हुये, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों से संबंधित पत्र संख्या 4/2014/SDR-Vol-1 दिनांक 25 अप्रैल, 2014 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 क के उद्धरणों की प्रति प्रषित की गयी एवं बिन्दु संख्या 02 से 04 के क्रम में उनके शिकायती पत्रों को लोक सूचना अधिकारी के पत्र संख्या 1054 दिनांक 03 मई, 2014 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। (उक्त संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी के पत्र संख्या 1815 दिनांक 09 दिसम्बर, 2014, की प्रतिलिपि मा0 सूचना आयोग की सेवा में संलग्न कर सादर प्रेषित किया जा रहा है।)

2. महोदय अधोहस्ताक्षरी अपने किसी निकट सम्बन्धी के विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के कारण मा0 आयोग में उपस्थित होने से असमर्थ हूं, अतऐव लोक सूचना अधिकारी की ओर से प्रकरण पर विभागीय आख्या सहित श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को मा0 आयोग के समक्ष विभागीय पक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

उक्तानुसार विभागीय पक्ष मा0 सूचना आयोग के संज्ञान में लाते हुए अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को निस्तारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1767/XXV–12/2008 देहरादून : दिनांक 24 नवम्बर, 2014

सेवा में,

श्री रमेश चन्द्र शर्मा,
प्रबन्धक ट्रस्टी,
धर्मशाला मांई गिन्दा कुंवर बरेली ट्रस्ट,
सुभाष घाट, हरिद्वार।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अर्न्तगत प्रस्तुत अपील पर सुनवाई के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उक्त अपील पर सुनवाई हेतु दिनांक 06 दिसम्बर, 2014 की तिथि निर्धारित की गयी है।

अतः निर्धारित तिथि को समय 11.00 बजे पूर्वान्ह उक्त अपील पर सुनवाई हेतु सचिवालय परिसर स्थिति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें। यदि आप सहमत हों तो उक्त नियत तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

भवदीया,

(सौजन्या)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

कार्यालय अपीलीय अधिकारी संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय देहरादून

~~अपील संख्या— 07 / 2014~~

अपीलकर्ता:— श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबन्धक ट्रस्टी, धर्मशाला मांई गिन्दा कुंवर बरेली ट्रस्ट, सुभाष घाट, हरिद्वार।

बनाम

उत्तरदाता:— लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, सचिवालय परिसर देहरादून।

आदेश

श्री रमेश चन्द्र शर्मा उपरोक्त द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने संबंधी उनके आवेदन पत्र दिनांक 30.09.2014, जो लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से वांछित सूचनायें लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा आवेदक को उपलब्ध नहीं कराई गयी।

2- आवेदक द्वारा वांछित सूचनायें आवेदक को उपलब्ध न होने पर आवेदक श्री रमेश चन्द्र शर्मा द्वारा प्रथम अपील दिनांक 31/10/2014 को प्रस्तुत की गई। उक्त अपील पर सुनवाई हेतु अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं हुये हैं। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलकर्ता को तत्काल वांछित सूचनाएं उपलब्ध करायी जाय, यदि उक्त सूचना से सन्तुष्ट न हो तो अपीलकर्ता किसी भी कार्यालय दिवस एवं समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेखों का अवलोकन कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील का निस्तारण किया जाता है।

(सौजन्या)
विभागीय अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी /
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

संख्या- 1811 XXV-12/2008 (P2), दिनांक 06 ~~सितम्बर~~ दिसम्बर, 2014।

प्रतिलिपि :- 1.श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबन्धक ट्रस्टी, धर्मशाला मांई गिन्दा कुंवर बरेली ट्रस्ट, सुभाष घाट, हरिद्वार।
2. लोक सूचना अधिकारी, को तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सौजन्या)
विभागीय अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी/
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1815 /XXV–12 /2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 09 दिसम्बर, 2014

सेवा में,

श्री रमेश चन्द्र शर्मा,
प्रबन्धक ट्रस्टी,
धर्मशाला माई गिन्दा कुंवर बरेली ट्रस्ट,
सुभाश घाट, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित बिन्दुवार सूचनायें निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही हैः–

1. बिन्दु संख्या 01 एवं 05 में मांगी गयी सूचना के बारे में अवगत कराना है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों संबंधित पत्र संख्या 4/2014/SDR-Vol.-I दिनाक 26 अप्रैल, 2014 की प्रति एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 क के उद्धरणों की प्रति संलग्न प्रेषित है।
2. बिन्दु संख्या 02, 03 एवं 04 के क्रम में आपके शिकायती पत्रों को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1054 दिनांक 03 मई, 2014 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को आव यक कार्यवाही हेतु प्रेशित की गयी है जिनकी प्रतिलिपि संलग्न है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
04–सुभाश रोड़,सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कश्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 1815 /XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित पत्र के क्रम में की गयी कार्यवाही से अपीलकर्ता एवं इस कार्यालय को अवगत कराने का कश्ट करें।

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

[1][(8) अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति द्वारा बूथ का बलात् ग्रहण ।]

स्पष्टीकरण—(1) निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता और ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी बाबत यह ठहराया जाए कि उसने अभ्यर्थी की सम्मति से निर्वाचन के संबंध में अभिकर्ता के रूप में कार्य किया है इस धारा में के "अभिकर्ता" पद के अन्तर्गत आते हैं ।

(2) यदि किसी व्यक्ति ने अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता [2]*** के रूप में कार्य किया है, तो खण्ड (7) के प्रयोजनों के लिए उस व्यक्ति की बाबत यह समझा जाएगा कि उसने उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने में सहायता दी है ।]

[3][(3) खण्ड (7) के प्रयोजनों के लिए, किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति को (जिसके अन्तर्गत किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के सम्बन्ध में सेवा करने वाला व्यक्ति भी है) या किसी राज्य सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति की नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने का शासकीय राजपत्र में प्रकाशन—

(i) यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने का निश्चायक सबूत होगा, और

(ii) यहां, यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने के प्रभावशील होने की तारीख ऐसे प्रकाशन में कथित है वहां इस तथ्य का भी निश्चायक सबूत होगा कि ऐसा व्यक्ति उक्त तारीख से नियुक्त किया गया था या पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने की दशा में ऐसा व्यक्ति उक्त तारीख से ऐसी सेवा में नहीं रहा था ।]

[4][(4) खंड (8) के प्रयोजनों के लिए "बूथ का बलात् ग्रहण" का वही अर्थ है जो धारा 135क में है ।

अध्याय 3 — निर्वाचन अपराध

[5][**125. निर्वाचन के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता सम्प्रवर्तित करना**—जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन होने वाले निर्वाचन के संबंध में शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधारों पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।]

[6][**125क. मिथ्या शपथपत्र आदि फाइल करने के लिए शास्ति**—कोई अभ्यर्थी, जो स्वयं या अपने प्रस्थापक के माध्यम से, किसी निर्वाचन में निर्वाचित होने के आशय से, यथास्थिति, धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन परिदत्त अपने नामनिर्देशन पत्र में या धारा 33क की उपधारा (2) के अधीन परिदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित अपने शपथ पत्र में,—

(i) धारा 33क की उपधारा (1) से संबंधित सूचना देने में असफल रहेगा ; या

(ii) ऐसी मिथ्या सूचना देगा जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है ; या

(iii) कोई सूचना छिपाएगा,

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।]

[7][**126. मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध**—(1) कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान,—

(क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा ; या

(ख) चलचित्र, टेलीविजन या वैसे की अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा ; या

[illegible] के अधिनियम सं० 1 की धारा 13 द्वारा (15-3-1989 से) अंतःस्थापित ।
[illegible] के अधिनियम सं० 47 की धारा 53 द्वारा (14-12-1966 से) "या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता" शब्दों का लोप किया गया ।
[illegible]75 के अधिनियम सं० 40 की धारा 8 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) जोड़ा गया ।
[illegible] के अधिनियम सं० 1 की धारा 13 द्वारा (15-3-1989 से) अंतःस्थापित ।
[illegible] के अधिनियम सं० 40 की धारा 24 द्वारा (20-9-1961 से) अंतःस्थापित ।
[illegible]02 का अधिनियम सं० 72 की धारा 5 द्वारा (24-8-2002 से) अंतःस्थापित ।
[illegible] के अधिनियम सं० 21 की धारा 10 द्वारा (1-8-1996 से) धारा 126 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या० मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

(*2*) For the purposes of clause (*7*), a person shall be deemed to assist in the furtherance of the candidate's election if he acts as an election agent [1]* * * of that candidate.]

[2][(*3*) For the purposes of clause (*7*), notwithstanding anything contained in any publication in the Official Gazette of the appointment, resignation, termination of service, dismissal from service of a person in the service of the Central Government (including a person connection with the administration of a Union territory) or of a State Government shall be conclusive

(*i*) of such appointment, resignation, termination of service, dismissal or removal from case may be, and

(*ii*) where the date of taking effect of such appointment, resignation, termination of service, removal from service, as the case may be, is stated in such publication, also of the fact that was appointed with effect from the said date, or in the case of resignation, termination dismissal or removal from service, such person ceased to be in such service with effect from the

[3][(*4*) For the purposes of clause (*8*), "booth capturing" shall have the same meaning as in section

CHAPTER III.—*Electoral offences*

[4][**125. Promoting enmity between classes in connection with election.**—Any person who in connection election under this Act promotes or attempts to promote on grounds of religion, race, caste, community or language of enmity or hatred, between different classes of the citizens of India shall be punishable, with imprisonment for a may extend to three years, or with fine, or with both.]

[5][**125A. Penalty for filing false affidavit, etc.**—A candidate who himself or through his proposer, with elected in an election,—

(*i*) fails to furnish information relating to sub-section (*1*) of section 33A; or

(*ii*) give false information which he knows or has reason to believe to be false; or

(*iii*) conceals any information,

in his nomination paper delivered under sub-section (*1*) of section 33 or in his affidavit which is required to be delivered sub-section (*2*) of section 33A, as the case may be, shall, notwithstanding anything contained in any other law for being in force, be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.

[6][**126. Prohibition of public meetings during period of forty-eight hours ending with hour fixed for conclusion of poll.**—(*1*) No person shall—

(*a*) convene, hold or attend, join or address any public meeting or procession in connection with an election

(*b*) display to the public any election matter by means of cinematograph, television or other similar apparatus

(*c*) propagate any election matter to the public by holding, or by arranging the holding of, any musical or any theatrical performance or any other entertainment or amusement with a view to attracting the members public thereto,

in any polling area during the period of forty-eight hours ending with the fixed for the conclusion of the poll for any in the polling area.

(*2*) Any person who contravenes the provisions of sub-section (*1*) shall be punishable with imprisonment for a which may extend to two years, or with fine, or with both.

(*3*) In this section, the expression "election matter" means any matter intended or calculated to influence or affect result of an election.].

1. The words "or a polling agent or a counting agent" omitted by Act 47 of 1966, s. 53 (w.e.f. 14-12-1966).
2. Added by Act 40 of 1975, s. 8 (retrospectively).
3. Ins. by Act 1 of 1989, s.13 (w.e.f. 15-3-1989).
4. Ins. by Act 40 of 1961, s. 24 (w.e.f. 20-9-1961).
5. Ins. by Act 72 of 2002, s.5 (w.e.f. 24-8-2002).
6. Subs. by Act 21 of 1996, s. 10, for s. 126 (w.e.f. 1-8-1969).

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashok Road, New Delhi-110 001

No. 4/2014/SDR-vol.I Dated: 26th April, 2014

To

The Chief Electoral Officer of
All Sates and UTs

Sub: Filing of false affidavit in Form-26 reg.

Sir/Madam,

You are aware that the format of affidavit in Form-26 appended to the Conduct of Elections Rules, 1961, was amended with effect from 1/8/2012. Now the candidates are required to make declarations about assets and liabilities including that of spouse and dependents, candidate's criminal antecedents and educational qualifications, in the affidavit in Form 26.The affidavit in Form 26 is provided under section 33A and any false declaration or concealing of information in the affidavit in Form 26 will attract the provisions of section 125A. Under the said Section 125A, furnishing of any false information or concealing of information in the affidavit in Form 26 is an electoral offence punishable with imprisonment upto six months, or with fine, or both.

2. Prior to the amendment to Form 26 in August 2012, the affidavit regarding declaration about assets, liabilities, criminal antecedents and educational qualification was given in the format prescribed by the Commission. In the case of complaints about false statement in the said affidavit, the Commission, vide its circular letter No.3/ER/2004, dated 2/6/2004, had clarified that if complaints were filed before the Returning Officer raising the issue of false declaration in the affidavit and if the RO was prima facie satisfied about the merits of the complaint, then the RO was to file a complaint before the competent Court under Section 177 of IPC read with Section 195 of Cr. P.C.

3. Now that the affidavit is in Form 26 under secion 33A of the R.P. Act, 1951, making false declaration/concealing of information in the affidavit would be covered under Section 125A of the Act. Under Section 125A, there is no stipulation that complaints under that section have to be made by the public servant concerned (in this case the R.O.). Therefore, it would be open to any aggrieved person to move petition before the appropriate Court of competent

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

jurisdiction with petition for action under Section 125A in the case of any false declaration or concealing of information in the affidavit in Form 26.

4. Therefore, it will be no longer necessary under the Cr.PC for the Returning Officer to move the competent court in relation to any complaint about a false affidavit. The complainant himself can be the complainant before the court as well.

5. The above instructions may be brought to the notice of all DEOs and ROs for elections to both the Houses of Parliament and State Legislature for their guidance so that in the event of complaints about false statements in the affidavit in Form 26, the complainant can be informed that it would be open for him to move the appropriate court of law for action under Section 125 A of the RP Act 1951.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(K.F. Wilfred)
Principal Secretary

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724, 2712014

संख्या /1054/XXV–3/2014 देहरादून : दिनांक 9 मई, 2014

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार/देहरादून/ पौड़ी गढ़वाल/रूद्रप्रयाग/
ऊधमसिंहनगर/ नैनीताल/चमोली/चम्पावत/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।

विषयः– **लोक सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2014–अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन एवं अन्य शिकायतों का प्रेषण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक लोक सभा के लिए आगामी सामान्य निर्वाचन, 2014 के क्रम में कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों के अत्यधिक अवधि से अथवा गृह जनपद में तैनात होने एवं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन आदि का उल्लेख किया गया है की प्रतिलिपि संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया संबंधित प्रकरण की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें:–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	शिकायतकर्ता का नाम व पता	शिकायत की तिथि	शिकायत का विवरण
1	हरिद्वार	श्री हरीश तिवाड़ी, नेता सभासद दल, नगर पालिका परिषद् ऋषिकेश	23.04.2014	आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में।
		राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री संदीप कुमार एवं अन्य प्रार्थीगण निवासी धनौरी क्षेत्र थाना बाहादराबाद, हरिद्वार	15.04.2014	आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में।
		श्री रमेश चन्द्र शर्मा, समाजसेवक, निवासी धर्मशाला माई गिंदा कुवंर सुभाष घाट, हरिद्वार	अदिनांकित	हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले भाजपा प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक का नियम कानून खिलाफ प्रस्तुत नामांकन को जांच प्रकिया उपरान्त निरस्त करने के संबंध में।
		श्री रमेश चन्द्र शर्मा, समाजसेवक, निवासी धर्मशाला माई गिंदा कुवंर सुभाष घाट, हरिद्वार	अदिनांकित	सरकारी आवास का मासिक किराया जमा कराये बिना अवैध रूप से प्राप्त अनापत्ति पत्र की उच्चस्तरीय जांच उपरान्त संसदीय चुनाव के प्रत्याशी का नामांकन निरस्त करने की कार्यवाही के आदेशार्थ हेतु अपील।

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

		भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री महावीर सिंह, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड	15.04.2014	नामांकन के संबंध में।
		भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री धीरेन्द्र प्रताप, प्रवक्ता उत्तराखण्ड कांग्रेस,		योग गुरू बाबा रामदेव के विरूद्ध शिकायत के संबंध मे।
		भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री वाजिद पुत्र श्री नासिर, सिविल लाईन रूड़की, हरिद्वार		श्री अमरीश कुमार शर्मा लेखपाल तहसील रूड़की जिला हरिद्वार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संबंध में।
		भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री गोपाल नारसन गीतांजली विहार रूड़की, जिला हरिद्वार	04.04.2014	आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में शिकायत।
		भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री राजेश रस्तौगी, एडवोकेट, चैमबर नं0 58 सिविल कोर्ट हरिद्वार	03.04.2014	श्री नरेन्द्र मोदी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराये जाने के संबंध में।
		श्री बाबू पुत्र मीरू नि0 पिरान कलियर, रूड़की, हरिद्वार		आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में शिकायत।
		श्री निसार पुत्र श्री इकबाल, सिटी पब्लिक स्कूल, रूड़की, हरिद्वार		आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में शिकायत।
		श्रीमती सुभद्रा आर्य, महासचिव, निवासी गुघाल रोड़ पाण्डेवाला, ज्वालापुर, हरिद्वार	02.04.2014	आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में शिकायत।
		श्री सुश्रुत पुरी पुत्र श्री न्यादर पुरी, निवासी ग्राम व पो0 दौलतपुर वायां योगपीठ हरिद्वार	22.04.2014	05 लोक सभा हरिद्वार का नामांकन दाखिल करने के संबंध में।
		राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न समाजसेवी जनपद हरिद्वार का प्रार्थना पत्र	19.04.2014	रानीपुर थाने के अन्तर्गत अवैध शराब के अड्डो को निर्वाचन के दृष्टिगत बन्द किये जाने के संबंध में।
		राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री मनन वर्मा अधिवक्ता मा0 उच्चतम न्यायालय, दिल्ली	21.04.2014	हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती रेणुका रावत, कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में।
2	पौड़ी गढ़वाल	श्री इन्द्रेश मैखुरी, प्रत्याशी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ग्राम व पो0 मैखुरा, जिला चमोली	टदिनांकित	प्रचार वाहन को रोके जाने के संबंध में शिकायत।

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

		श्री नरेन्द्र सिंह नेगी, प्रत्याशी, मा0क0पा0 02–गढ़वाल संसदीय क्षेत्र	23.04.2014	नगरपालिका परिषद् कोटद्वार को तथाकथित अधिकारियों द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने के संबंध में।
		भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न एक भारतीय नागरिक		आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में।
3	देहरादून	राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री महेश कुमार उभान, एडवोकेट, जनपद देहरादून	10-04-2014	ई0वी0एम0 मशीन में सम्मिलित नोटा बटन का मतदाताओं के उपयोग किये जाने हेतु विभिन्न समाचार पत्रों में प्रचार–प्रसार के संबंध में।
		राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न डा0 स्तयनारायण सचान, प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, कार्या0– परेड ग्राउण्ड देहरादून	19-04-2014	सरकारी व्यय पर सुरक्षा हेतु गनर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।
		श्री शान्ति प्रसाद भट्ट केन्द्रीय महामंत्री, कैम्प कार्यालय 22 मित्रलोक, बल्लूपुर रोड़, देहरादून	08-04-2014	श्री पूर्णानन्द नौटियाल मुख्य सहायक सिंचाई कार्यमण्डल, देहरादून द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध मे।
		श्री राज्यपाल सचिवालय के पत्र के साथ संलग्न श्री विकास गर्ग, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय पत्रकार यूनियन 85 तिलक रोड़, देहरादून।	अदिनांकित	जिला सूचना अधिकारी 10 वर्षों से जनपद देहरादून में कार्यरत के संबंध में।
		श्री कीर्ति सिंह पुत्र स्व0 श्री भगत सिंह नि0 सुमन विहार गली नं0 1 बापूग्राम, तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून	17.04.2014	फर्जी दस्तावेज तैयार करवाने के संबंध में शिकायत।
		भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न प्रभारी अधिकारी, जिलाधिकारी, देहरादून।	05.04.2014	ज्ञापन के संबंध मे।
		भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री शान्ति प्रसाद भट्ट, 22 मित्रलोक कालोनी बल्लूपुर रोड़, देहरादून	05.04.2014	आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में शिकायत।
		भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री विकास गर्ग 85 तिलक रोड़, देहरादून	26.03.2014	सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड द्वारा अवमानना एवं अवहेलना के संबंध में।
		श्री विजय सारस्वत, प्रदेश महामंत्री प्रशासनिक, 21 राजपुर रोड़ देहरादून	25.04.2014	चुनाव ड्यूटी के संबंध में शिकायत।

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

		श्री भानूप्रताप सिंह पुत्र श्री अजय बहादुर सिंह निकट रेलवे क्रासिंग, डोईवाला, देहरादून	20.03.2014	वोटर लिस्ट में नाम न होने संबंधी शिकायत।
		श्री प्रेम कुमार शर्मा, 75 विजय कालोनी, न्यू कैन्ट रोड़, देहरादून	28.04.2014	फाटो पहचान पत्र न मिलने संबंधी शिकायत।
4	रूद्रप्रयाग	राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री विक्रम सिंह पंवार, एवं अन्य प्रार्थीगण निवासी ग्राम त्यूखर, पो0 चिलबटिया तहसील जखोली, जिला रूद्रप्रयाग	10-04-2014	तहसील जखोली में कार्यरत उपजिलाधिकारी जखोली श्री लक्ष्मीराज चौहान व पुलिस उपनिरीक्षक अजय कुमार, चौकी माई की गढ़ी रूद्रप्रयाग, द्वारा राजनीति में सम्मिलित होना तथा निष्पक्ष चुनाव में बाधक होने के संबंध में।
5	ऊधमसिंह नगर	राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न निर्वाचन कार्यों में तैनात गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के अधिकारी / कर्मचारीगण	16-04-2014	निर्वाचन कार्य में तैनात कर्मियों को होने वाली निवारण हेतु अनुरोध।
		भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्रीमती बीना राणा, पत्नी डा0 योगेश सिंह राणा, निवासी ग्राम चौमेला, सितारगंज, उधमसिंहनगर	28-03-2014	आचार संहिता के उल्लंघन के संबध में।
		राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री इकवाल अली, निवासी ग्राम टॉडा, डालचन्द, बाजपुर, उधमसिंहनगर		श्री भूपेन्द्र सिंह पटवारी, तहसील बाजपुर / गदरपुर की तहसीलों में 25 वर्षों से कार्यरत होने के फलस्वरूप उनका स्थानान्तरण किये जाने के संबंध मे।
		राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री सुखदेव सिंह एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम गुरूनानक नगरी सितारगंज उधमसिंहनगर	10-04-2014	लोकसभा नैनीताल उधमसिंहनगर के निर्वाचन हेतु पोलिंगबूथ के संबंध में।
6	नैनीताल	श्री प्रभात ध्यानी, प्रधान महासचिव उत्तराखण्ड परिवर्तन पार्टी, रानीखेत रोड़, निकट कुमायू बस स्टेशन रामनगर नैनीताल		आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में शिकायत।
		भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री मजहर नईम, निवासी जवाहर नगर, टनकपुर रोड़, हल्द्वानी		आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में शिकायत।

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

7	चमोली	भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री निखिल रावत	03-04-2014	सेंट्रल स्कूल गोपेश्वर मे फैली हुई अराजकता के सन्दर्भ में प्रार्थना पत्र।
8	चम्पावत	भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री केदार सिंह सामन्त पुत्र श्री मोहन सिंह निवासी कार्की फा, पो0 टनकपुर चम्पावत	05-04-2014	हेल्प लाईन नम्बर के संबंध में शिकायत।
9	अल्मोड़ा	राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री हरीश चन्द्र सिंह बिष्ट एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम खलना पो0 खलना जिला अल्मोड़ा।	19-04-2014	ग्राम पंचायत खलना की सड़क की मांग पूरी न होने के कारण लोक सभा निर्वाचन का बहिष्कार के संबंध में।
10	पिथौरागढ़	राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ संलग्न श्री सुबोध सिंह, सभासद नगर पालिका परिषद् पिथौरागढ़	21-04-2014	अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पिथौरागढ़ को संयुक्त मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी से अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

<u>पृ0 संख्या – 1054 / **XXV–3/2014**, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि उल्लिखित तालिका की क्रम संख्या–1से 10 तक में वर्णित शिकायतकर्ताओं को उनके वर्णित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाड़पुर, रिंग रोड, देहरादून

अपील संख्याः A(D)–16816/2014
अपील अन्तर्गत धारा 19 (3) सू. का. अधि. अधिनियम 2005

अपीलकर्ता श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबंधक ट्रस्टी, धर्मशाला माई गिंदा कूंवर बरेली ट्रस्ट, सुभाषघाट, हरिद्वार जिला हरिद्वार

बनाम

प्रतिवादी **1.** लोक सूचना अधिकारी /अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर देहरादून।

2. विभागीय अपीलीय अधिकारी/अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड,सचिवालय परिसर, देहरादून।

नोटिस

अपीलकर्ता श्री रमेश चन्द्र शर्मा, द्वारा आयोग को राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) 2005 के द्वारा निस्तारणार्थ अपील प्रार्थना पत्र 26.12.2014 को प्रस्तुत किया गया है. आयोग द्वारा प्रार्थना पत्र को अपील के रूप में सुनवाई हेतु विचार करने के उद्देश्य से **13.02.2015 (शुक्रवार)** को आयोग कार्यालय, **सूचना का अधिकार भवन, लाड़पुर, रिंग रोड, देहरादून** में वाद सूची के क्रम के अनुसार **11.00 बजे** से दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाता है.

2. अपीलार्थी द्वारा राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम 2005 के द्वारा नियम–3 और नियम–4 के द्वारा प्राविधानित प्रस्तुत सामग्री को नियम छः के अनुसार प्रतिवादी को पंजीकृत डॉक से / विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है.

3. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा प्रार्थना पत्र की प्रति तथा संलग्न अभिलेखों को प्रतिवादियों को इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि वे **13.02.2015** को सुनवाई के समय व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहें. प्रतिवादियों से यह भी अपेक्षित है कि वे इस अपील–मेमोरेण्डम के सापेक्ष अपने पक्ष में निम्नलिखित मूल अभिलेखों के साथ **स्वयं अथवा प्रतिनिधि** उपस्थित हों.

लोक सूचना अधिकारी

अ. अपीलकर्ता/प्रार्थी के मूल प्रार्थन्ना पत्र पर बिंदुवार लिखित उत्तर **एवं ईमेल पता**
ब. पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित मूल आवेदन पत्र व्यवहृत किया गया हो, तथा
स. लोक सूचना अधिकारी के लिए निर्धारित पंजिका
द. लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराये गये सूचना की प्रतियां
ध. विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश की प्रति

विभागीय अपीलीय अधिकारी

अ. अपील पर बिंदुवार लिखित उत्तर, **एवं ईमेल पता**
ब. पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित विभागीय अपील व्यवहृत की गयी हो, तथा
स. निर्धारित विभागीय अपील पंजिका

ह0/–
(एन0एस0नपलच्याल)

मुख्य सूचना आयुक्त

संख्या : 1204/ उ.सू.आ./अपील/2014–15/(CIC) दिनांक :02.02. 2015

प्रतिलिपि

1. श्री रमेश चन्द्र शर्मा,, प्रबंधक ट्रस्टी, धर्मशाला माई गिंदा कूंवर बरेली ट्रस्ट, सुभाषघाट, हरिद्वार जिला हरिद्वार।
2. लोक सूचना अधिकारी /अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर देहरादून को अपीलार्थी से प्राप्त अपील की फोटोप्रति सहित।
3. विभागीय अपीलीय अधिकारी/अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड,सचिवालय परिसर, देहरादून को अपीलार्थी से प्राप्त अपील की फोटोप्रति सहित।
4. विभागीय पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह क्वीरियाल)
सचिव

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551

फैक्स न0 (0135) – 2713724, 2712014

संख्या /XXV–15/2014 देहरादून : दिनांक 24 फरवरी, 2015

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

विषयः– लोक सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2014–05–संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हरिद्वार से प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक के विरूद्ध शिकायत का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबन्धक ट्रस्टी, धर्मशाला माई गिन्दा कुंवर बरेली ट्रस्ट, सुभाषघाट, हरिद्वार के शिकायती पत्र दिनांक 20 फरवरी, 2015 के साथ संलग्न शिकायती पत्र दिनांक 09 मई, 2014 की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि वर्णित प्रकरण पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर तत्काल अपनी आख्या से इस कार्यालय एव शिकायतकर्ता को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

पृ0 संख्या – 141 / XXV–3/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबन्धक ट्रस्टी, धर्मशाला माई गिन्दा कुंवर बरेली ट्रस्ट, सुभाषघाट, हरिद्वार को उनके वर्णित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र सं0:– 648 / 25–14(शिकायती पत्र) / 2014–15 दिनांक: 03–04–2015

विषयः– **मतदाता सूची में नाम जोड़ने / मतदाता पहचान पत्र बनवाने आदि के सम्बन्ध में शिकायत का प्रेषण।**

महोदया,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–267 दिनांक 23 मार्च, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या पत्र सं0–30 / उत्तरा0 / 2015 / उ0अनु0–11 / 604 दिनांक 04 मार्च, 2015 के साथ संलग्न श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबन्धक ट्रस्टी, धर्मशाला माई गिन्दा कुंवर बरेली ट्रस्ट, सुभाषघाट, हरिद्वार के शिकायती पत्र दिनांक 08–05–2014 के के सन्दर्भ में सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा के शिकायती पत्र दिनांक 08–05–2014 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून के स्तर से प्राप्त हुई थी तथा उक्त पत्र के साथ पुनः आयोग के माध्यम से प्राप्त हुई है, के सन्दर्भ में वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्र संख्या–**431** दिनांक 19 मार्च, 2015 के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा चुकी है, जिसकी प्रति श्री रमेश चन्द्र शर्मा को भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र की प्रति पुनः सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

03/04/2015

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

03/04/15

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

RL ROSHNABAD KUTCHERY (249403)
A RV609051160IN
Counter No:1,OP-Code:FAI
To:RAMESH CHANDRA SHARMA,SUBHASH GHAT
Haridwar S.O, PIN:249401
From:ZILA NIRVACHAN , HAR
Wt:20grams,
PS:22.00, 23/03/2015 , 10:45
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

पत्र सं0:– 481/25–14(सू.अ.अ.)/2014–15 दिनांकः 19 मार्च, 2015

विषयः– **लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014–05–हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक के विरूद्ध शिकायत के सम्बन्ध में।**

महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–141 दिनांक 24 फरवरी, 2015 जिसके द्वारा श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबन्धक ट्रस्टी धर्मशाला माई गिन्दा कुंवर बरेली ट्रस्ट सुभाषघाट, हरिद्वार के शिकायती पत्र दिनांक 20 फरवरी, 2015 के साथ संलग्न शिकायती पत्र दिनांक 09 मई, 2014 के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर तत्काल आख्या मुख्यालय को एवं शिकायतकर्ता को भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त सन्दर्भ में अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 09 मई, 2014 जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग को सम्बोधित एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून को सम्बोधित है, इस कार्यालय को उक्त पत्र के साथ प्राप्त हुआ है, इससे पूर्व उक्त पत्र इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

उक्त शिकायती पत्र दिनांक 09 मई, 2014 में उल्लिखित किया गया है कि उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 21 अप्रैल, 2014 जो रिटर्निंग आफिसर 05 हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को प्रस्तुत की गई। रिटर्निंग आफिसर द्वारा मेरी आपत्तियों का निस्तारण किये बिना ही 07 मई, 2014 को उक्त सीट का चुनाव सम्पन्न करवा दिया गया।

उक्त सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उक्त शिकायती पत्र पर रिटर्निंग आफिसर द्वारा की गई **कार्यवाही की प्रति संलग्न करते हुए** अवगत कराना है कि उक्त शिकायती पत्र दिनांक 21–04–2014 के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा माननीय सूचना आयोग में भी अपील की जा चुकी है। माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर माननीय सूचना आयुक्त द्वारा उक्त अपील खारिज की जा चुकी है। सुलभ हेतु आदेश की प्रति संलग्न है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

19/03/2015
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः– श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबन्धक ट्रस्टी धर्मशाला माई गिन्दा कुंवर बरेली ट्रस्ट सुभाषघाट, हरिद्वार

19/03/2015
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND 26AA 877357

सेवा मे,

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड सरकार सचिवालय देहरादून

मुख्य कोषाधिकारी
सदर कोषागार
16 MAY 2015
हरिद्वार

विषय :- सूचना अधिकार अन्तर्गत सूचनाएं प्रदान कराना।

महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि 10/- रु० के नान जूडिशियल स्टाम्प पर लिखित आवेदन आप समक्ष इस आशय से प्रस्तुत है कि निम्न, वर्णित बिन्दुओं अनुसार सूचनाएं आप द्वारा छायाप्रति रूप मे प्रदान करा दी जायें।

(1) यह कि आवेदक ने श्रीमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड समक्ष दि 9-5-2014 को लिखित में एक शिकायती पत्र दिया था जिसका विषय यह था कि "प्रतिलिपि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस निवेदन के साथ सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कि उक्त के दृष्टिगत मे श्री रमेश पोखरियाल निशंक का हरिद्वार संसदीय सीट से नामांकन निरस्तीकरण के साथ-2 उनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करवाने की अविलम्ब कार्यवाही अमल मे लाने की महती कृपा करें" है → उक्त पत्र के सापेक्ष मे जाँच उपरान्त यह तथ्य प्रमाणित हो चुके हैं कि संसदीय प्रत्याशी के चुनाव लड़ने के समय मे उनके 2 नगरों में मतदाता सूची के जिनकी जानकारी उनको भली भाँति थी अतः इस गंभीर आपराधिक पूर्ण आचार संहिता के उल्लंघन के मामले मे श्रीमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्तर से श्री रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ सख्त वैधानिक दण्डात्मक कार्यवाही की निष्पक्ष पारदर्शिता युक्त प्रकिया को "भारत निर्वाचन नियमावली" एवं "चुनाव आचार संहिता" के - किस नियम - विधान एवम् धारा के अन्तर्गत - आज तक कार्यवाही को किस गतिमान नहीं कराया जा रहा है एवं पक्षपात पूर्ण स्वेच्छा तहत भ्रष्टाचार आपराधिक पूर्ण प्रकरण को राजनैतिक दबाव तहत के कारण लम्बित रखा जा रहा है उस नियम धारा - विधान को स्पष्ट उल्लेखित

(left margin:) 10/8/15 ... प्राप्त

रमेश चन्द्र शर्मा
प्रबन्धक ट्रस्टी
... धर्मशाला ... कुंवर हरिद्वार
20-8-2015

 26AA-877357

करते हुए वैधानिक दण्डात्मक कार्यवाही न कराने के सापेक्ष में सम्पूर्ण कार्यवाही विवरण दिया जाये जिसके तहत दण्डात्मक कार्यवाही लम्बित रखी जा रही है,

2- यह कि विभिन्न शिकायती आवेदनों के सापेक्ष में गहन जाँच प्रक्रिया उपरान्त शासनस्तर पर यह प्रमाणित सिद्ध हो चुका था कि संसदीय चुनाव 2014 समय में हरिद्वार के संसदीय प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक की अविवाहित पुत्री कु० आरुषि के नाम तहसील ऋषिकेश के फतेहपुर टाण्डा जनपद देहरादून में आवंटित जलमग्न भूमि चिकित्सीय उपयोग की एवं अन्य जनपदों में स्थित निजी स्वामित्व की भूमियों जिनका मालिकाना हक आज भी सांसद के नाम भू लेखों में दर्ज है उन समस्त भूमियों को प्रकाशन सत्य रूप में निर्वाचन फार्म एवं नामांकन पत्र के साथ सलंग्न शपथपत्र में न कर उसको छिपाने का अपराधिक कृत्य किया गया था एवं समस्त भूमियों को पारदर्शिता से सम्पत्ति के कालम में दर्शित न करना आचार संहिता एवं भारत निर्वाचन नियमावली का खुला उल्लंघन है इस अनियमित्ता पूर्ण अपराधिक कृत्य के खिलाफ श्रीमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड स्तर से आज तक किस प्रकार की वैधानिक दण्डात्मक कार्यवाही कराई गई है उसका सम्पूर्ण कार्यवाही विवरण दिया जाये, तथा गम्भीर प्रकरण के खिलाफ पारदर्शिता निष्पक्षता से सरल वैधानिक दण्डात्मक कार्यवाही को किस नियम धारा अन्तर्गत लम्बित रखने का प्रावधान आचार संहिता की किस धारा अन्तर्गत उल्लेखित है उस नियम-धारा की छायाप्रति दी जाये

3 - यह कि विषय बिन्दु 1 एवं 2 अन्तर्गत उल्लेखित प्रकरण के सापेक्ष में द्वितीय शिकायती अपील सं० A(D)-16816/2014 अन्तर्गत दि 13 फरवरी 2015 को पारित मा० मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश के अनुपालन में श्रीमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी के व्यक्तिगत स्तर से वैधानिक दण्डात्मक कार्यवाही को आज तक किस नियम धारा तहत लम्बित रखा जा रहा है उस नियम धारा की छायाप्रति सहित कार्यवाही को लम्बित रखने का विभागीय कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण दिया जाये,

4- यह कि श्रीमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार को प्रेषित पत्र 14/XXV-3/ई० 24 फरवरी 2015 के सापेक्ष में श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार ने आचार संहिता के गम्भीर उल्लंघन के शिकायती प्रकरण में किस स्तर की प्रक्रिया से आरोपित सांसद से स्पष्टीकरण या अन्य रूप में उनका पक्ष प्राप्त कर आज तक उनके खिलाफ वैधानिक दण्डात्मक कार्यवाही नहीं कराई है उसका विवरण दिया जाये कि चुनाव आचार संहिता के किस नियम-शर्त अन्तर्गत आरोपित पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जाँच पक्ष-विपक्ष को तलब कर आज तक नहीं कराई जा सकी है,

5- यह कि श्रीमान सहायक निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार के पत्रांक सं. 12/25-14 दि 5 जनवरी 15 द्वारा आरोपित श्री रमेश पोखरियाल निशंक के नोटिस प्रेषित कर उनकी शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी विवरण जैसे विषय उत्तीर्ण वर्ष/संस्थागत/व्यक्तिगत/अनुक्रमांक/नामांकन संख्या/सम्बन्धित महाविद्यालय-संस्थान का नाम जाँच प्रक्रिया अन्तर्गत मांगा था वह विवरण सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा आप समक्ष प्रस्तुत किया गया या नहीं बताया जाये कि किस प्रक्रिया से आरोपित सांसद को अभिलेख साक्ष्य रूप में प्रस्तुत करने के प्रेषित नोटिस के अनुपालन में सांसद महोदय के जो जो अभिलेख शिक्षा से सम्बन्धित जाँच अधिकारी को प्रस्तुत किये थे तथा उन प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर आप द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में जाँच अधिकारी ने जो जाँच परिणाम निर्धारित किया था उन समस्त अभिलेखीय प्रपत्रों सहित सम्पूर्ण जाँच कार्यवाही प्रदान कराई जाये,

आवेदक
रमेश चन्द्र शर्मा
20-8-2015

पता- प्रबन्धक ट्रस्टी - धर्मशाला माई जिन्दा कुँवर
सुभाष घाट - हरिद्वार उत्तराखण्ड

सामान्य नं

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724, 2712014

संख्या /XXV–15/2014 देहरादून : दिनांक 24 फरवरी, 2015

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

विषयः– लोक सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2014–05–संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हरिद्वार से प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल निशंक के विरुद्ध शिकायत का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबन्धक ट्रस्टी, धर्मशाला माई गिन्दा कुंवर बरेली ट्रस्ट, सुभाषघाट, हरिद्वार के शिकायती पत्र दिनांक 20 फरवरी, 2015 के साथ संलग्न शिकायती पत्र दिनांक 09 मई, 2014 की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि वर्णित प्रकरण पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर तत्काल अपनी आख्या से इस कार्यालय एव शिकायतकर्ता को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

पृ0 संख्या – 141 / XXV–3/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबन्धक ट्रस्टी, धर्मशाला माई गिन्दा कुंवर बरेली ट्रस्ट, सुभाषघाट, हरिद्वार को उनके वर्णित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

प्रमाणक

पंजीकृत

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार।

संख्याः– 12 /25–14(सू.अ.अ.–2005)/2014–15 दिनांकः 05–01–2015

सेवा में,

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक,'
मा. सांसद, 05–हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र,
नि0–37/1 विजय कालोनी, रवीन्द्रनाथ टैगोर मार्ग, देहरादून।

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि आप द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014 में 05–हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से भरे गये अपने नामांकन पत्र में अपूर्ण सूचना अंकित करने के सम्बन्ध में श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के शिकायती पत्र दिनांक 04–06–2014 के द्वारा 05 बिन्दुओं पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125क के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है। शिकायती पत्र के बिन्दु संख्या–5(क) में शैक्षणिक अर्हता के सम्बन्ध में आपत्ति करते हुए अवगत कराया गया कि प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र के पृष्ठ संख्या–10 के बिन्दु 10 व पृष्ठ 11 के बिन्दु 11 में शैक्षणिक अर्हता व उच्च शैक्षणिक अर्हता संबंधी विवरण नहीं भरा गया है और न ही पी.एच.डी. (मानद) उपाधि धारक होना दर्शाया गया है। इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा कुल सचिव, हे.नं. ब. गढ़वाल विश्व विद्यालय श्रीनगर गढ़वाल को आपकी शैक्षिक योग्यता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु पत्रालेख भेजा गया था।

कुल सचिव, हे.नं.ब. गढ़वाल विश्व विद्यालय श्रीनगर गढ़वाल ने अपने पत्र संख्या–871 दिनांक 08–11–2014 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा अवगत कराया है कि मांगी गई व्यक्ति की शैक्षिक अभिलेख से सम्बन्धित सूचना का विषय उत्तीर्ण वर्ष/संस्थागत/व्यक्तिगत/अनुक्रमांक/नामांकन संख्या एवं सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान का नाम की सूचना प्राप्त होने पर ही सूचना उपलब्ध करायी जा सकेगी।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण की जांच हेतु अपनी शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी विषय उत्तीर्ण वर्ष/संस्थागत/व्यक्तिगत/अनुक्रमांक/नामांकन संख्या एवं सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान का नाम सम्बन्धी विवरण तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त लम्बित प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।

भवदीय,

लोक सूचना अधिकारी,
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को पंजीकृत पत्र द्वारा सूचनार्थ प्रेषित।

1–श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून।

2–श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबन्धक ट्रस्टी, धर्मशाला माई गिन्दा कुंवर बरेली ट्रस्ट सुभाषघाट, हरिद्वार।

3–कुल सचिव, हेमवती नंदन बहुगुणा गढवाल विश्व विद्यालय श्रीनगर गढ़वाल।

4–मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, मसूरी बाई पास रिंग रोड. लाडपुर, देहरादून।

5–प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

05/01/2015

लोक सूचना अधिकारी,
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

(संलग्नक)

• भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना अधिकार अधिनियम भ्रष्टाचार से लड़ने, बेहतर प्रशासन एवं लोकतंत्र को सशक्त बनाने हेतु एक महत्वपूर्ण/क्रान्तिकारी कदम है •

राष्ट्रीय सूचना अधिकार जागृति मिशन

सूचनाधिकार-लोकतंत्र का सजग प्रहरी

सूचना का अधिकार

रमेशचन्द्र शर्मा
अध्यक्ष
मो0 9927541004

मीडिया प्रभारी उत्तराखण्ड कांग्रेस सेवादल

-: मुख्यालय :-
माई गिंदा कुँवर धर्मशाला
सुभाष घाट, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

RTI

★ राष्ट्र के विकास में भागीदारी
★ सभी संस्थानों-विभागों को पारदर्शी-सुदृढ़ बनाने का एक सतत् प्रयास
★ जनता को अधिकार सम्पन्न बनाना
★ भ्रष्टाचार समाप्त कराना
★ सरकारी-अर्द्धसरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता कायम करना
★ कर्तव्यों-उत्तरदायित्वों के प्रकटन की बाध्यता

पत्रांक संख्या.............. प्राथमिकता / अति आवश्यक दिनांक 21/2/2015

सेवा में,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड राज्य सचिवालय
देहरादून

विषय :- अपील सं0 A(D)-16816/2014 अन्तर्गत प्रस्तुत शिकायती पत्र 9-05-2014 के सापेक्ष में दोषी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने के आदेशार्थ

महोदय,
विनम्र निवेदन इस प्रकार है कि आवेदक ने आपके समक्ष दि0 9-5-2014 को लिखित में शिकायती पत्र दिया था जिसका विषय था कि "प्रतिलिपी मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून को इस निवेदन के साथ सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कि उक्त के दृष्टिगत में श्री रमेश पोखरियाल निशंक का हरिद्वार संसदीय सीट से नामांकन निरस्तीकरण के साथ-2 उनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करवाने की अविलम्ब कार्यवाई अमल में लाने की महती कृपा करें" — उक्त पत्र के सापेक्ष में जाँच उपरान्त यह तथ्य स्पष्ट हो चुके हैं कि संसदीय प्रत्याशी के चुनाव समय में 2 जगह मत बने हुए थे जिसकी उनको विधिवत जानकारी भी थी तथा उन्होंने सरकार द्वारा उनकी अविवाहित पुत्री कु0 आरुषी के नाम तहसील ऋषिकेश के ग्राम फतेहपुर (टांडा) में आवंटित भूमि एवं अन्य जनपदों स्थित भूमियों का उल्लेख निर्वाचन फार्म में जानबूझ अंकित न कर उसको छिपा कर आचार संहिता नियमावली का घोर उल्लंघन किया है जिसके खिलाफ आपराधिक प्राथमिकी पुलिस थाना में मा0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड के आदेश से श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दर्ज कराना जनहित न्याय हित में सर्वोपरि आवश्यक है इसी प्राथमिकी दर्ज कराने की "स्वयं कार्यवाही" मा0 मुख्य सूचना आयुक्त जी के पारित दि0 13-2-2015 के आदेश के अनुपालन में आप द्वारा आवेदक को दिया जाना अपीलार्थी निस्तारण आदेश के अनुरूप अति आवश्यक व जरूरी है। आवेदक रमेश चन्द्र शर्मा 21/2/2015

संलग्नक :- शिकायती पत्र दि9-5-2014 की छायाप्रति

Received
[illegible]

• कोई भी सरकारी-अर्द्धसरकारी विभाग-संस्थान सूचना अधिकार अधिनियम अन्तर्गत एक माह की अवधि या 48 घंटे के भीतर सूचनाएं प्रदान कराने में असफल रहता है तो यह मान लिया जाये कि उन्होंने सूचना देने से इंकार कर दिया है •

(22)

Consumer History

CONSUMER HISTORY FROM 27-Mar-1399 TO 13-Nov-2014

Latest Particulars

Consumer No :	CD12702120531	Category :	STN-10 / OTHER DOMESTIC LOAD ABOVE 4KW
Name :	RAJYA SAMPATTI	Account No / CIN :	40106755843 / 03H07U00062702 1001205314
Father Name :		Billing Status :	Live
Address :	VIBHAG R-4 ,YAMUNA COLONY ,DEHRADUN_CENTRAL	Contracted Load :	10.00 KW
Phone / Mobile No :	/	Connected Load :	10.00 KW
Office Name :	BINDAL	Supply Release Date :	27-Mar-1399
E-mail :		Total Security Deposit :	3865.00
Meter Number :	C23177	Material Security Deposit :	0.00
Cheque Payment Allowed :	Yes	PAN Number :	
No Of AC :	0		

Latest Billing Attributes

Billing Cycle	Billing Group	Supply Voltage	Solar Heater Capacity	ED Exemption Flag	Ceiling Flag	Surcharge Applicable	[illegible]	[illegible]	Phase
2	1		0	N	Y	N			3

Billing Attribute Changes

Changed on	Billing Cycle	Billing Group	Supply Voltage	Solar Heater Capacity	ED Exemption Flag	Ceiling Flag	Surcharge Applicable	[illegible]	[illegible]	Phase

NO TRANSACTIONS FOUND

Bill Details

☑ Previous Financial Years Bill Details

Bill Month	BillIssueDt	Bill No	Prev Stat	Prev KWH	Prev KVA	Prev KVAH	Pres Stat	Pres KWH	Pres KVA	Pres KVAH	Bill Units	Eng Chg	MCG	Fixed Chg.	Elec Duty	Prev Adj	Curr LPS	Other Chg	Prev Bal	Bill Amt	CGBP Adj	Bal Amt
11/2014	11-11-2014	SBH01891411110681	MU	91047	0	0	MU	92304	0	0	1257	3939.50	0.00	180.00	188.55	0.00	2972.66	0.00	156968.00	164265.00	0.00	164265.00
09/2014	11-09-2014	SBH01891409110690	MU	89461	0	0	MU	91047	0	0	1586	5091.00	0.00	180.00	237.90	0.00	2832.96	0.00	148547.00	156968.00	0.00	156968.00
07/2014	10-07-2014	SBH01891407100665	MU	87770	0	0	MU	89461	0	0	1691	5458.50	0.00	180.00	253.65	0.00	2685.27	0.00	139954.00	148547.00	0.00	148547.00
05/2014	09-06-2014	SBH01891405090670	MU	87754	0	0	MU	87770	0	0	16	36.80	0.00	180.00	2.40	0.00	2679.20	0.00	137032.00	139954.00	0.00	139954.00

Bill Month	BillIssueDt	Bill No	Prev Stat	Prev KWH	Prev KVA	Prev KVAH	Pres Stat	Pres KWH	Pres KVA	Pres KVAH	Bill Units	Eng Chg	MCG	Fix/Dem Chg.	Elec Duty	Prev Adj	Curr LPS	Other Chg	Prev Bal	Bill Amt	CGBP Adj	Bal Amt
03/2014	11-03-2014	SBH01891403110683	MU	83869	0	0	MU	87754	0	0	3885	13137.50	0.00	180.00	582.75	0.00	2331.10	0.00	120777.00	137032.00	0.00	137032.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	120777.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
09/2013	09-09-2013	SBH01891309090691	MU	79148	0	0	MU	79879	0	0	731	2108.85	0.00	180.00	109.65	0.00	1919.24	0.00	98292.00	102634.00	0.00	102634.00
07/2013	10-07-2013	SBH01891307100663	MU	78344	0	0	MU	79148	0	0	804	2354.00	0.00	180.00	120.60	0.00	1880.24	0.00	94072.00	98292.00	0.00	[illegible]
05/2013	08-05-2013	SBH01891305080675	MU	77779	0	0	MU	78344	0	0	565	1491.50	0.00	160.00	84.75	0.00	1816.43	0.00	90503.00	94072.00	0.00	[illegible]
03/2013	13-03-2013	SBH01891303130680	MU	77313	0	0	MU	77779	0	0	466	1184.60	0.00	160.00	69.90	0.00	1780.67	0.00	87292.00	90503.00	0.00	[illegible]
12/2012	12-01-2013	SBH01891301120689	MU	76522	0	0	MU	77313	0	0	791	2192.10	0.00	130.00	118.55	0.00	1718.49	1691.39	81395.00	87292.00	0.00	[illegible]
10/2012	16-11-2012	SBH01891211160674	MU	76223	0	0	MU	76522	0	0	299	687.70	0.00	320.00	44.48	[illegible]	0.00	0.00	80310.00	81395.00	[illegible]	[illegible]
08/2012	23-08-2012	7182652	NA	74649	0	0	MU	76223	0	0	1574	3954.65	0.00	160.00	236.10	13680.75	2143.05	0.00	87481.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
06/2012	20-06-2012	5182412	NA	74649	0	0	NA	74649	0	0	2178	6447.55	0.00	180.00	0.00	0.00	1758.63	0.00	79099.00	87481.00	[illegible]	[illegible]
04/2012	19-04-2012	3182096	MU	74649	0	0	NA	74648	0	0	2644	7233.20	0.00	120.00	0.00	0.00	1574.58	0.00	70163.00	79099.00	[illegible]	[illegible]
02/2012	17-02-2012	1182077	NA	71900	0	0	MU	74649	0	0	2749	7357.20	0.00	120.00	412.35	9241.20	1606.38	0.00	69908.00	70163.00	[illegible]	[illegible]
12/2011	17-12-2011	8181759	MU	71900	0	0	NA	71900	0	0	3364	9249.20	0.00	120.00	0.00	0.00	1373.94	0.00	59155.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/2011	20-10-2011	9181454	MU	71327	0	0	MU	71900	0	0	573	1434.40	0.00	120.00	85.95	[illegible]	1332.74	0.00	56174.00	59155.00	[illegible]	[illegible]
08/2011	18-08-2011	7181516	MU	67257	0	0	MU	71327	0	0	4070	11226.00	0.00	120.00	610.50	[illegible]	1033.63	0.00	43176.00	56174.00	[illegible]	[illegible]
06/2011	20-06-2011	5181688	MU	63758	0	0	MU	67257	0	0	3499	9308.00	0.00	100.00	524.85	0.00	785.21	0.00	32464.00	43176.00	[illegible]	[illegible]
04/2011	25-04-2011	3181189	MU	58775	0	0	MU	63758	0	0	4983	12835.80	0.00	80.00	747.45	0.00	496.13	0.00	18295.00	32464.00	[illegible]	[illegible]
02/2011	22-02-2011	1180945	MU	55067	0	0	MU	58775	0	0	3706	9520.80	0.00	80.00	556.20	0.00	1458.01	0.00	61166.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12/2010	21-12-2010	8181325	MU	51706	0	0	MU	55067	0	0	3361	8618.60	0.00	80.00	504.15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/2010	21-10-2010	9181241	MU	47968	0	0	MU	51706	0	0	3738	9598.80	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
08/2010	20-08-2010	7181257	MU	43299	0	0	MU	47968	0	0	4668	12019.40	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
06/2010	17-06-2010	510055X	MU	35160	0	0	MU	43299	0	0	8137	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04/2010	22-04-2010	3180328	RDF	3025	0	0	MU	35168	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02/2010	19-02-2010	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	RDF	1455	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12/2009	18-12-2009	8180082	RDF	76313	0	0	RDF	5101	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/2009	23-10-2009	9180571	MU	76313	0	0	RDF	6557	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
08/2009	22-08-2009	7180137	MU	73518	0	0	MU	76313	0	0	2795	3590.00	0.00	30.00	419.25	[illegible]						